बृहन्मुंबई महानगरपालिका
सिताराम मिल कम्पाऊंड
उच्च. प्राथ. म. शाळा
मुंबई-४०००१३

वृत्तान्त मिल हत्याओं का जो पहले नही कहा गया

डेरिल डि मोंटे

मै सोचता हुँ कि मैं ही केवल एक ऐसा मूर्ख ट्रेड यूनियन लीडर-हूँ जो श्रमिकों के अधिकारों के लिये लढ़ रहा है, और मै जानता हूँ कि जब मै मरुंगा तो मेरे लिये कोई रोने वाला न होगा।

-यूनियन लीडर दत्ता सामंत
(अपनी हत्या के दो दिन पहले)

1990 के दशक के प्रारंभ में शहरी जीवन की पुरानी व्यवस्थाएँ बदल रही थीं और नयी अनिश्चिताएँ उनका स्थान ले रही थीं। उद्योगो में रोजगार की हानि एक दुखद वास्तविकता थी। जमीन जायदाद के भाव आसमान छू रहे थे और अंडरवर्ल्ड का बदसूरत चेहरा ऊपर उभर रहा था। इस जहरीले नुस्खे के ये तीनों मसाले उबल रहे थे जब खटाउ-मिल की भूमि के विक्रय का बदनाम मामला सामने आया। इस कथा में एक मोलीवुड ब्लाक बस्टर के सभी मसाले मौजूद थे। भरपूर गन्स थी, मारधाड थी और यूनियन्स को तोड़ा जाना था। ऐसा हुआ कि खटाऊ परिवार मुंबई का एक बड़ा पुराना मिल-मालिक परिवार था। 1994 में भायखला स्थित उनकी मिल 125 वर्षे पुरानी थी अर्थात मुंबई में पहली मिल स्थापित होने के 12 वर्षो के अन्दर ही यह मिल स्थापित हुई थी। यह 13 एकड़ की कीमती भूमि में स्थित थी। भायखला परेल-लालबाग से अधिक अप-मार्केट है क्यों कि वह सेन्ट्रल बॉम्बे डिविजन (सीबीडी) के अधिक नजदिक है।

1990 के आरंभ में इस मिल में 5700 श्रमिक थे और कुल मिलाकर 54 करोड़ का धारा एकत्रित हो गया था। अध्यक्ष और प्रबंध संचालक सुनीत खटाऊ था, आयु 55 वर्ष की थी। वह चाहता था कि मिल को एक अधिक बड़े पर कम मूल्य के, 40 एकड़ के प्लॉट में जो उसने बोरीवली में प्राप्त किया था, स्थानांतरीत कर दिया जाय। फिर उसे क्रमसे मुंबई से बाहर म्हाडा ले जाना चाहता था, जहां पर मिल ने 1985 में एक वीवींग यूनिट स्थापित किया था। 1991-92 में ध्यान रहे एक बार फिर 'उदारित आर्थिक नीती' लागू की गई थी जो इस अधम नाटक की पार्श्वभूमि बनी। दी खटाऊ माकनजी स्पिनिंग एन्ड वीविगं कं., बीआयआफआर में चली गई। मिल

को चलाने की द्रष्टि से खटाऊ कें इस उत्तराधिकारी की कीर्ति ठीक नहीं था इसलिये आर्थिक संस्थाओ ने, जब तक वह इस संस्था का इन्चार्ज है, आर्थिक मदत देने से इन्कार किया लेकिन जब आर्थिक संस्थाएं अड़ी रही और 15 दिनों तक फंड्स को रोके रखा तो खटाऊ अपना पद छोड़ने के लिये तैयार हो गया। [3.]

पुनर्वसन पेकेज का एक हिस्सा था, भायखला की भूमि को बेंचना। बी आय आफ आर और महाराष्ट्र शासन ने स्कीम का अनुमोदन इस शर्त पर किया कि सरकार मान्य यूनियन 'आर एम एम एस' इस पर अपनी सहमति दे दे। प्रांरभ में इस बात पर एक मत नही था कि 50,000 स्क्वेअर मीटर्स भूमि की क्या कीमत होगी। खटाऊ के द्वारा तो उसकी कीमत रु 80 करोड़ बतलाई गई थी लेकिन सरकार और आर्थिक संस्थाओ द्वारा आस-पास के रियल इस्टेट की कीमतों के हिसाब से, यह विश्वास किया गया कि कीमत रु. 2.50 करोड़ के लगभग हो सकती है स्थिति तब और भी जटील हो गई जब यह मालुम पड़ा कि जमीन के अधिकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इसके अलावा आर एम एम एस के अध्यक्ष हरिभाऊ नाइक ने इस विक्रय प्रस्ताव को तबं तक स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, जब तक कि उन श्रमिकों के, जो अपनी जाब खो देगें,के पुनर्वास का कोई स्पष्ट प्रस्ताव नही बन जाता। उसे शक था कि खटाऊ अपने प्रमुख एसिट को अपने व्यक्तिगत लाभ के लियें बेंचना चाहता है। श्रमिको ने इसका विरोध इसलिये किया, क्यों कि उन्हे पता नही था कि यदि उन्हें पुनर्स्थापित किया गया तो कही किया जायेगा। भले ही खटाऊ यह वायदा कर रहा था कि किसी को भी जाब से नहीं निकाला जायेगा लेकिन उसकी बात किसी को हजम नही हो रही थीं और खटाऊ अपने उत्पादन को बिना प्रभावित किये आसानी से अपने एक तिहाई लोगो से मुक्ति पा सकता था।

खटाऊ ने अपनी स्कीम आगे बढ़ाने के लिये हरिभाऊ नाइक को आर एम एम एस के चुनाव में हराने की योजना बनाई। गैगस्टर अरुन गवली की सहायता से नाइक को हटाकर शंकर राव जाधव को अध्यक्ष चुन लिया गया। गवली के भतीजे सचिन और विजय अहीर पहले से ही खटाऊ के निजी सचिव और अंगरक्षक के रुप में काम कर रहे थे। खटाऊ ने जाधव के साथ समझौता किया था कि वह उसकी अध्यक्ष बनने में सहाय्यता करेगा और बदले में जाधव श्रमिकों को, मिल बोरीवली स्थानांतरीत करने देने के लिये राजी करेगा। जाधव को गवली गैंग से पूरी सहाय्यता मिली, हथियारों की, गोला बारुद की और रुपये पैसो की। नाइक और नरेन्द्र तिड़के जो इंटक के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष थे (इंटक-अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा स्पोन्सार्ड थी) ने व्यक्तिगत रुप से शरद पवार, तत्कालीन मुख्यमंत्री को बतलाया कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि यदि इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ट्रेड यूनियन आन्दोलन को बड़ी क्षति पहुंचेगी।

महाराष्ट्र विधान सभा में इस बात को लेकर बड़ा हो-हल्ला मचा कि मुख्यमंत्री का भतीजा अजीत पवार और मुख्यमंत्री का एक नजदीकी सहाय्यक गोविन्दराव आदिक को उस आर एम एम एस के इलेक्शन पेनल पर नामांकित किया गया था, जिसे गवली ने स्पॉन्सर किया था। इसका सीधा अर्थ यह होता था कि अंशत: इस षड़यंत्र में शामिल होना। विधान सभा में विरोधी दल द्वारा इतना कीचड़ उछालने के के फल स्वरुप कांग्रेस के लोगों ने अपने कदम वापस ले लिये। कॉग्रेंस पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों के ही सदस्यों ने खटाऊ की अंडरवर्ल्ड के लोगों को भरती करने के अपराध में गिरफ्तारी करने की मांग की। मिडिया और अन्य राजनैतिक नेताओं ने भी आर एम एम एस पर कब्जा किये जाने का कड़ा विरोध किया और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन (पिआयल) भी चुनाव में गड़बड़ी करने के विरोध में दायर किया गया। यह सब जब हो रहा था तब हरीभाऊ नाइक जिनेवा में इटरनेशनल लेबर-

ऑर्गनाइजेशन की मीटींग में भाग लेने के लिये गये हुए थे। इस सबका बड़ी टेक्सटाइल यूनियन, जिसके कि लगभग 100,000 श्रमिक सदस्य थे, पर खतरनाक अपराधियों द्वारा इस शर्मनाक कब्जे भी ओर से कांग्रेस ने अपनी आंखे मूंदली।[3]

जाधव भ्रष्ट और हस्तक्षेपपूर्ण आर एम एम एस में आ विराजमान हुआ। आर एम एम एस. कांग्रेस सरकार का एक युध्द पश्चात का निर्माण था। एक बदनाम बाम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट (बीआयआर) जिसके अनुसार सभी टेक्सटाइल कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल एक ही यूनियन हो सकती थी और वह थी आर एम एम एस। खटाऊ ने गवली के साथ मिलकर यह षड़यंत्र रचा था कि वह भायखला की अपनी जमीन बेंच देगा और गवली को विभिन्न प्रकार से रु 05 करोड़ प्राप्त होगें या विक्रय की कीमत का 5% उसे मिलेगा। जमीन की अंदाजन कीमत 250 से 400 करोड़ रुपये तक आंकी गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह मुंबई के रियल इस्टेट का सर्वाधिक ऊंचा भाव था, यह कीमत आंकी गई थी। दोनों अहीरों ने (सचिन तो वर्तमान में आर एम एम एस.का सेक्रेटरी है और गोविन्दराव आदिक अध्यक्ष) मिल के अंदर अपना अभियान तेजकर दिया और श्रमिकों पर दबाव डाला कि वे उस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर दें, जिसके द्वारा मिल को बोरीवली स्थानांतरीत करने के प्रति सहमति दी गई थी

इस घोषणा पत्र से सज्जित होकर खटाऊ ने फिर से राज्य सरकार के पास जाकर जमीन को बेंचने की इजाजत मांगी। रिपोर्टो के अनुसार उसने एक कन्सट्रक्शन कम्पनी से एक अनुबंध लगभग तय कर लिया था। यह कन्सट्रक्शन कम्पनी मुंबई के सबसे खतरनाक गेंगस्टर दाउद इब्राहीम के गेंग का ही एक फ्रंट था। दाउद ने अपना बेस दुबई में स्थापित किया था। डा. दत्ता सामंत ने तो खुले रुप से यह आक्षेप लगाया था, और बतलाया था कि 400 करोड़ रुपये का सौदा हुआ है। उसका कहना था कि राजनैतिक नेताओं और मिल मालिकों ने अपराधी तत्वो को यूनियन में प्रवेश करने दिया है। इन सौदों पर मिल के श्रमिको की सहमती जोर जबर्दस्ती से लेने के लिए अपराधियों के गेंग्स लाये गये है। सामंत ने खटाऊ मिल की घटना का उदाहरण देते हुए यह आरोप लगाया कि, इस खतरे का सामना करने के लिये हमारे प्रजातां त्रिक साधन बहुत कमजोर पड़ते हैं। मै इनके विरुध्द अपनी आवाज उठा रहा हुँ। मैने मोर्च भी निगाहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी किये है। इससे उन (गन्स्) पर कुछ रोक लगी है।

'डी कम्पनी' के नाम से बदनाम, दाउद इब्राहीम 80 के दशक के प्रांरभ में ही दुबई भाग गया और मार्च 1993 के सीरियल बाम्ब ब्लास्ट के बाद उसके गेंग के बचे हुए लोग भी ठिकाने लगा दिये गए। इस खाली हुए स्थान को, अरुण गवली और अमर नाइक के परस्पर विरोधी..... भरने की कोशिश की। दोनो डान्ट्स में से अरुण गवली कही अधिक जमीनी व्यक्ति था, उसने राजनीति में उतरने की योजना बनाई। उसके गेंग का एक सदस्य, बदनाम दगड़ी चाल में, जिसे कि मध्य दक्षिण मुंबई में डॉन का डेन कहा जाता है, जमकर बैठा था। बहुत सी काटन मिल्स में लोग दबीजबान से कहते हैं कि केवल भाई ही दाऊद का असली प्रतिद्वन्दी है। इसलिये स्वाभाविक ही है कि दाऊद के लोग उसके पीछे लगे हैं। और पोलिस भी उसे यहाँ मरा हुआ देखना पसंद करेगी। जल्दी या देर से वह जरुर ही किसी एनकाउन्टर में मारा जाएगा। इसलिये राजनैतिक क्षेत्र ही एक बाहर निकलने का रास्ता है।[5] अमरजीत सिंह सामरा पूर्व मुंबई कमिश्नर आय पोलिस के अनुसार अमर गल्ली का गेंग 800 साहसी शैतानों का दल है, जिनको प्रतिमास 4000 रुपये का मानधन प्रतिव्यक्ति को दिया जाता है। अंडर वर्ल्ड के ताज को झपटने के लिये भीषण लड़ाईयां लड़ी जा रही है और ऐसा लगता है कि फायनल मुकाबला होगा अरुण गवली और अमर नाइक के बीच में, क्यो कि दाउद तो तेजी से निगाहों से ओझल होता जा

रहा है। हलांकि यहां की करोड़ो की सम्पति का वह मालिक है। एक पोलिस हेड कानस्टेबल कर मासूमसा दिखने वाला बेटा सिर्फ 10 साल में, सच देखो तो शहर के हर अपराध में सर्वव्यापी बन गया था।[6]

मई प. 1994 को सुनीत खटाऊ अपनी सफेद मरसीडीज में जा रहा था। महालक्ष्मी रेसकोर्स के नजदीक वाले ट्रेफिक सिगनल पर उसकी गाड़ी रुकी ही थी कि एक मोटरसाइकल पर दो गेंगस्टर वहां आये उन्होंने हथोड़े से गाड़ी का कांच फोड़ा और खटाऊ पर 11 फायर किये और भाग गये। उसका ड्रायव्हर उसे घायल अवस्था में नायर पब्लिक हास्पिटल ले गया जहाँ उसे मृत आया घोषित कर दिया गया। यह प्रथम हत्या थी जो दिन दहाड़े एक प्रमुख उद्योगपती की गई थी, इसके कारण सारे शहर मे सनसनी फैल गई। बड़े ही नाटकीय ढंग से इस घटना ने, व्यावसायिक राजधानी में हो रहे जमीन के बडे सौदो में अंडरवर्ल्ड की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया। अक्सर गैगंलेण्ड में होनेवाली हत्याओं के बारे में पोलिस और मिडिया, कल्पना की बेलगाम उड़ान और कभी कुछ सही भी अपने-अपने अंदाज में पेश करते हैं। एक अदांज के मुताबिक यह कहा गया कि खटाऊ को गवली के बहुत निकट का समझा जाता था जिसके कारण विरोधी- के अमर नाइक गैंग ने उसकी हत्या की। यदि भायखला की जमीन का सौदा पूरा हो गया तो नाइक को डर था कि गवली शहर को सारी एके-47 बंदूके खरीद सकता था और अपने सारे विरोधियों को खत्म कर देता। यह भी कहा जाता था कि अश्विन नाइक जो अमर नाइक का भाई था, पर हुए घातक हमले का बदला लेने के लिये यह हत्या की गई थी। अप्रेल 18 के दिन मुंबई के सेशन्स कोर्ट में उसके सिर में पाइंट ब्लेंक गोली मार दी गई थी, जिसके कारण वह अंशत: पैरेलाइज हो गया था।

अमर नाइक एक पोलिस एनकाउंटर में, अगस्त 1996 में मारा गया। अश्विन को शुटिंग के बाद 6 महिने जे.जे. हास्पिटल में बिताना पड़े और फिर वहां से निकलने के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया। पोलिस के अनुसार पहले वह साउथ अफ्रीका गया था। उसके कार्यक्षेत्र अहमदाबाद, काठमांडू, लंदन और टोरंटो थे। 1999 में जब वह बंगलादेश जाते लिये पश्चिम बंगाल क्रास कर रहा था तो वहां की पोलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह मुंबई पोलिस द्वारा, 15 मामलों में जो हत्या, एक्सटोर्शन और हमले के थे, जिनमे खटाउ हत्या का मामला भी शामिल था, वान्टेड था। वह दक्षिण अफ्रीका को अफीम मेन्ड्रेक्स बेंचने के अवैध धंधे में शामिल हुआ और उस ने ड्रग के व्यापार से बहुत अधिक मुनाफा कमाया था जिससे उसके गेंग के पास आधुनिक हथियारों का ..... इकठ्ठा हो गया था। दोनों गेंग की शत्रुता तो चालु ही थी। गवली येरवडा सेन्ट्रल जेल से अपनी कारस्थानियां चलाता रहा तो अश्विन नाइक भायखला की आर्थर रोड जेल से अपनी गतिविधियां चलाता रहा। वहां उसके सम्बंध ड्रग अंडर वर्ल्ड से स्थापित हो गये थे। [7]

सेप्टेबंर 1999 के जनरल इलेक्शन के अवसर पर शहर में अश्विन की उपस्थिति के कारण समाचारपत्रो के कल्पनशील पत्रकारों के दिमाग में उफान आ गया कि अश्विन दक्षिण मध्य और उत्तर-मध्य कांस्टीट्यूएन्सीज को प्रभावित कर सकता है। उधर अरुन गवली को पुणे के बाहर उसके गांव में निष्कासित कर दिया गया था। नाइक युवा वोटर्स को शिवसेना के मौजूदा सांसद मोहन रावले के पक्ष में वोट देने के लिये प्रभावित कर सकता है। रावले दक्षिण मध्य से पिछले चुनाव में कुल 100 वोटों से जीता था। [8]

खटाउ की हत्या से सिर्फ तीन सप्ताह पहले जाधव पर हत्यारबंद गेंगेस्टर्स ने जान लेवा हमला किया था जिसमें वह बालबाल बच गया था यह हमला भी मोटरसाइकिल ..... के द्वारा तब हुआ था जब वह अपनी ऑफिस को जा रहा था। पोलिस का विश्वास था कि अमर नाइक गेंग ने जाधव को इसलिये निशाना बनाया था कि वह आर एम एम एस के

चुनाव में जीता था। पर जाधव ने इस बारे में अपना अज्ञान ही जाहिर किया था कि आक्रमणकारी कौन हो सकते थे। उसने इससे भी इन्कार किया था कि अंडर वर्ल्ड से उसके कोई सम्बंध थे या गुंडे लोग टेक्स्टाइल यूनियन में प्रवेश कर गये थे। उसका कहना था कि - 'यह तो उन कुछ लोगों का मिथ्या आरोप है जो यूनियन में प्रवेश नहीं कर सके थे, इसलिये वे दावा कर रहे है कि यूनियन गुंडो से भरी हुई है। मै एक इंजीनियर हूं और पिछले 30 साल से यूनियन का सदस्य हूँ। मेरे बारे में सबकी राय अच्छी है'।- उसे तो बाद में यह पता चला कि गल्ली के कुछ दूर के रिश्तेदार आर एम एम एस के सदस्य थे। - मैं तो उन्हे एक श्रमिक के रुप में जानता हूं। 'उसने दावा किया' सचिन एक ग्रॅजुएट है, अच्छी इंगलिश बोलता है और वह खटाउ मिल में काम करता है . बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारा कोई सदस्य माफिया से सबंधित नही है। - कहा जाता है कि शरद पवार का जाधव पर यह दबाव था कि वह अपने गलत सम्बंधो के कारण यूनियन को छोड़ दे। [9]

खटाउ की हत्या की प्रतिक्रिया के रुप में, शरद पवार ने अपनी ओर से, अब आगे के लिये मिलभूमि के विक्रय पर तुरंत रोक लगा दी क्यों कि इन सौदो मे अंडरवर्ल्ड ने प्रवेश कर लिया था। राज्य सरकार यह भी योजन बना रही थी कि 'बी आई आर एक्ट आफ 1946' के दायरे में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाहर निकाल दिया जाय। पर यह एक राजनैतिक सनसनाहट भर थी, कांग्रेस का कोई इरादा नहीं था कि वह एक ऐसी यूनियन पर से अपना नियंत्रण खो बैठे जो उसकी जेब में ही थी। गोविन्दराव आदिक अभी तक उसका अध्यक्ष है और सचिन अहीर सचिव है। मिल ओनर्स -एसोसिएशन की, 1998 की वार्षिक साधारण सभा, ताजमहल होटल में हो रही थी। उस में भाग लेने के लिये सचिन अहीर तीन पीस सूट में, बड़ी तड़क भड़क के साथ वही आया था। वह वहां उपस्थित मिल मालिकों से कहीं अधिक संपन्न दिख रहा था। तो यह शान है आर एम एम एस के यूनियन प्रतिनिधियों की खटाउ की हत्या के बाद से उद्योगपति यह कहते सुने गये थे कि,- 'इस हत्या के कारण अन्य मिलों की सरप्लस जमीन का विक्रय धीमा हो जायेगा या अंडरवर्ल्ड अपना हिस्सा मांगना शुरु कर देगा।' एक समाचार पत्रिका ने इस सम्पूर्ण सरप्लस जमीन का एक अंदाज पेश किया था जो 500 एकड़ से अधिक थी, जिसकी कीमत रु. 8275 करोड़ आंकी गई थी। इस पर डेवलपमेंट के बाद आवासीय या आफिस काम्प्लेक्स की कीमत रु. 15 270 करोड़ हो जायेगी। [10]

दत्ता सामंत जिसने कि 1982-83 की मॅरेथान टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक का नेतृत्व किया था, वह मिल भूमि के पुनर्विकास की अनुमति देने की नीति का कट्टर विरोधी था। उसका कहना था कि - 'मिल्स और अन्य कारखानों की भूमि का विक्रय मुख्यमंत्री की नीतियों के कारण हो रहा है। पिछले दो वर्षो में बहुत सी बीमार इकाइयां बन्द हो गई थीं, क्यों कि राजनीतियों, बिल्डर्स, मालिकों और यूनियन्स की मिली-भगत कारण वे श्रमिकों को बाहर निकालकर पैसा बनाना चाहते हैं । ज्यादातर मिल्स बीमार नहीं हैं, उन्हे बीमार बनाया जा रहा है। [11] 'बहुत पहले 1991 में उसने चेतावनी दी थी कि-' सरकार उधारोपतियों के हाथों में अधिक से अधिक रही है। 'शरद पवार ने मिल मालिकों को अपनी भूमि बेंचते और वहां पाँच तारा होटले बनाने की खुली छूट दे दी है। इससे खतरे की स्थिती उत्पन्न हो गई है और इसके लिये सरकार ही प्रमुख अपराधी है। वह श्रमिकों को मूर्ख बना रही है। उसकी श्रमिक विरोधी नीतियों ने दो लाख से अधिक श्रमिको को बेरोजगार कर दिया है। अधिक और अधिक उद्योग्य आए दिन बंद होते जा रहे है।' - अपने स्वयं के वर्णन से भावातुर हो कर उसने विश्वास व्यक्त किया था कि सुधार के केवल दो ही रास्ते है-' या तो इस का राजनैतिक इलाज मंडल जैसा या जेठमलानी जैसा ढूंढा जाय या फिर नक्सलाइट जैसा आन्दोलन चलाया जाय।[12] उसी वर्ष अपने अपने इलेक्शन

भाषणों नें कांग्रेस और शिवसेना दोनोंनेही इस बात का दावा किया कि मिल भूमि का विक्रय उन्होंने रुकवा दिया है।- सांमत ने दोनों की ही खिल्ली उड़ाते हुए की सहानुभूति बताना किसी काम का नही है। अवश्य ही कांग्रेस और शिवसेना की इस मामले में आपस में सांठ गांठ है। वे दोनों मिलकर गरीब मिल मजदूरों का सफाया कर देंगे। [13]

यह पहला अवसर नहीं था जब खटाउ माकनजी मिल में मसल-शक्ति के प्रयोग के आरोप लगाये गये हों। दत्ता सांमत की यूनियन के सदस्यों ने यह बतलाया था कि किस तरह से टेक्सटाइल हड़ताल के दौरान गवली गैंग के लोगों ने श्रमिकों को डराया धमकाया था। सामंत ने कहा था कि जब हड़ताल समाप्त होते का नाम नही ले रही थी तब भाई भोसले ने, जो 'आर एम एम एस' का जनरल सेक्रेटरी था, सभी अंडरवर्ल्ड के गेंग लीडर्स को बुलाया उनमें अरुण गवली भी शामिल था जो हाल ही में आर्थर रोड जेल से छुटकर बाहर आया था। अब फिर से इसी गेंग को इसके लिये इस्तेमाल किया जा रहा था कि सरकार भूमि विक्रय का काम अपने हाथ में ले सके। सरकार तो खुले तौर पर इसे नहीं कर सकती थी। [14] जब 1989 के लोकसभा चुनाव में दत्ता सामंत दक्षिण मध्य मुंबई से उम्मीदवार था तब भी इन लोगों को इसलिये बुलाया गया था कि वे श्रमिकों को उसका प्रचार करने से रोकें। सामंत वह चुनाव हार गया (वह तीन बार असफल रहा था और 1984 में जब उसके द्वारा की गई हड़ताल असफल रही थी पर चुनाव में वह जीत गया था।

किसी भी द्रष्टिकोण से देखा जाय तो खटाउ घटना मुंबई के औद्योगिक सम्बंधों का एक अधम-अध्याय था। इन काले-कारनामों का पूर्वाभास हो चुका था। उदाहरण के लिये देखें, रिलायंस इंड्रस्ट्रीज के मलिक धीरुभाई द्वारा विरासित सिन्थेटिक टेक्सटाइल की एंपायर तेजी से बढ़ रही थी। उसकी कड़ी प्रतिद्वन्दिता नुसली वाडिया की बाम्बे डाइंग मिल से थी जो एक भलीभांति संस्थापित, आधुनिक व एक प्रगतशील मिल थी। 1989 में पोलिस ने कीर्ति अम्बानी जो रिलायन्स इंडस्ट्रीज का जन संपर्क अधिकारी था को गिरफ्तार कर लिया, उस पर आरोप था कि उसने एक स्थानीय गेंगेस्टर अर्जुन बाबरिया को अम्बानी के कट्टर प्रतिद्वन्दी नुसली वाडिया की हत्या की सुपारी दी थी। मिलों के मामलों में गेंगलैन्ड के बढ़ते हुए हस्तक्षेप का यह एक जबर्दस्त प्रमाण था। खटाउ मिल के एक श्रमिक का लेखक ने इंटरव्यू लिया था, उसका कहना था कि सुनीत खटाउ की अंत्येष्ठी के अक्सर, उसके किसी वरिष्ठ व्यवस्थापक ने नही बल्कि सचिन अहीर ने खुद अपने भाषण में यह वायदा किया था कि - 'हम खटाउ के सपने पूरे करेगें और मिल को बोरीवली अवश्य स्थानांतरीत करेगें।' - उस श्रमिक ने यह भी बतलाया कि - मिल के लगभग 500 श्रमिक गवली से अपनी प्रतिबद्धता घोषित करते है। मिल का हरेक व्यक्ति डरा हुआ है पर कोई अपनी आवाज ऊँची नहीं करता क्यों कि हरेक को अपने परिवार की चिन्ता है। [15] आर एम एम एस ने यह अक्षरश: स्वीकार कर लिया था कि खटाउ की पुनर्वास स्कीम में 650 श्रमिकों की छटनी की जायेगी। [16]

सुनीत खटाउ की हत्या के 3 दिन बाद टाइम्स आफ इंडिया में एक संपादकीय, 'बदले की भावना से हत्या' (रिप्राइजल किलिंग) शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। उसके एक अंश में लिखा था कि- " एक स्तर पर तो खटाउ हत्या का मामला बाम्बे में अंडरवर्ल्ड के दो प्रमुख गेंगलार्डस् के बीच लगातार चल रहे युध्द का प्रतिफल है। दूसरे, कही गहरे स्तर पर ये घटनाएं इस तथ्य को प्रतिंबिम्बित करती हैं कि, भूमि के उपयोग की विवेकपूर्ण नीति के अभाव के ही इस शहर में जहां पुराने पड गये कानून जारी है रियल इस्टेट की कीमतों को अनरियल ऊँचाइयों तक उछाल दिया है। मिल भूमि के विक्रय का, झगड़े में पड़ा मामला ऐसी नीति के अभाव से जुड़ा हुआ है। खटाउ मिल्स के मामले में, जो मध्य बाम्बे की 3 एकड़ प्राइम भूमि पर स्थित है, मिल को स्थानांतरीत करने के लिये श्रमिको की अनुमति को 'बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एंन्ड फॉयनान्सियल

रिकन्सट्रक्शन' द्वारा अनिवार्य बना दिया गया। आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान वातावरण में यह आवश्यक हो गया है कि बीमार टेक्सटाइल उद्योग का आधुनिकीकरण व उच्चश्रेणी..... किया जाय। मिल मालिक जो ऐसा करने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करना चाहते है ; उन्हे चाहिये कि वे श्रमिकों के लिये पर्याप्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान करें। सुनीत खटाउ की दुखद हत्या बतलाती है कि ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, सन्देहास्पद तत्वों पर निर्भर रहना बहुत अधिक महंगा पड सकता है।[17]

यह किसी भी प्रकार से खटाउ की कथा का अंत नहीं था। खटाउ की विधवा पत्नी पन्ना खटाउ ने शक जाहिर किया कि उसके पति की हत्या उनके ही किसी रिश्तेदार की साजिश से हुई है, उसने ऐसा शायद इसलिये किया था कि वह अपने पति के अंडरवर्ल्ड के साथ सम्बंधों की ओर से लोगो का ध्यान हटाना चाहती थी। अब उसने मिल का चार्ज अपने हाथों में ले लिया था। 'बी आई एफ आर' ने नवम्बर 1999 में पुनर्वसन पेकेज पर अपनी स्वीकृति दे दी। जनवरी 1995 में कॉंग्रेस राज्य सरकार ने भी 10 लाख, स्क्वेयर फीट, जमीन बेंचने की अनुमति दे दी।[18] दो साल बाद अवैधानिक रुप से मिल बन्द करने पर उठे भयंकर विरोधाभास के कारण 'बी आई एफ आर' ने महाराष्ट्र सरकार को, यदि उसने विरुध्द कोर्ट में जाने की धमकी दी थी। [19] शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने अतिरिक्त भूमि के विक्रय को स्वीक्रति दे दी पर साथ ही यह स्पस्टीकरण दिया कि, यह स्वीक्रति एक अपवाद स्वरुप है क्यों कि स्वयं श्रमिकों ने इसकी मांग की थी, स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उनके परिश्रमिक के भुगतान के लिये, मिल को ऋण देने से इन्कार कर दिया था जब तक कि मिल को बोरीवली की भूमि बेंचने की स्वीक्रति नही मिल जाती।[20] केवल आर एम एम एस जो वास्तव में अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसे सौदे के लिये सहमत हुई थी। यह बात मिल मालिक, यूनियन और वर्तमान मुख्यमंत्री फिर वह चाहे किसी भी पार्टी का हो, के बीच छिपे या खुले गठबंधन का संकेत करती है। विक्रय की स्वीक्रति इस शर्त पर दी गई थी कि बेंची हुई जमीन का उपयोग औद्योगिक कार्य के लिये ही होगा, जिससे शहर में रोजगार की गारंटी बनी रहे। [21]

पन्ना खटाउ ने, संपन्न हीरा व्यापारी भरत शाह की बी. विजय कुमार एन्ड कंपनी के साथ 1995 में बोरीवली की 4 एकड़ भूमि के विक्रय का अनुबंध किया। शाह ने अपनी कम्पनी रिशीना कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. के एक प्रस्ताव द्वारा रु. 40 करोड़ में यह सौदा पक्का किया था और रु. 10 करोड़ एडवांस स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा करा दिया, जो बी आई एफ आर द्वारा पुनर्वसन पेकेज के लिये अनुमोदित बैंक था। प्रमोटर्स, बैन्कर्स और आर्थिक संस्थाओं को खटाउ मिल की वर्किंग केपीटल के रुप में, प्रत्येक ने 15 करोड़ रु. जमा कराने थे। फिर भी 1997 में शाह इस सौदे से बाहर निकलना चाहता था क्यों कि भूमि की किमतें गिर रही थी और पुरानी शर्ते अब फायदे मंद नही रही थी।[22] शाह की शिकायत थी कि 'मै प्रापर्टी को अपने नाम पर स्थांनातरित नही करा सकता, मै सरकार को सुचना दिये बिना जमीन को बेंच भी नहीं सकता।' तब इन शर्तो के साथ कौन अपना पैसा लगाना चाहेगा।[23]

शाह के पीछे हटने के कारण, पन्ना खटाउ चक्कर में पड़ गई थी, उसने सूचित किया कि वह आर्थिक संस्थाओं से एक अतिरिक्त ऋण, जो रद्द कर दिया गया था, के लिये फिर से समझौते की बात चला रही है और उसे आशा है कि एक नया पुनर्वसन पेकेट फिर से तैयार हो जाएगा। यदि आई सी आई आई अपने ऋणों को रद्द करने पर सहमत हो जाय तो एक नया तो एक नया 102 करोड़ रु. का पेकेज बी आई एफ आर को प्रस्तुत किया जा सकता है। उसने फरवरी 1997 में श्रमिकों को उनका वेतन देना बंद कर दिया।

'मिल का काम फंड्स की कभी के कारण बन्द करना पड़ा। डेवलपर्स की ओर से जो कन्सीडरेशन - भुगतान आना था उसमें देरी हुई और वह इसलिये हुई कि डेवलपर्स को अरबन सीलिंग एक्ट की अनुमति नहीं मिली थी।' - उसने

स्पष्ट किया- 'जैसे ही डेवलपर्स कन्सीडरेशन राशि का भुगतान करेंगे और मुझे कंपनी की व्यवस्था का नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा मैं अपने शेष राशि रु. 13 करोड़ का भुगतान करने के लिये तैयार हूं।' - जब 'गिरनी कामगार संघर्ष समिति' (जीकेएसएस) एक स्वतंत्र और समर्पित कॉटन टेक्सटाइल यूनियन ने श्रमिकों के हित में हाइकोर्ट में एक मामला दाखिल कर दिया। इस पर हाइकोर्ट ने मिल को निर्देश दिये कि श्रमिकों का फरवरी का वेतन, उस साल के सितम्बर में भुगतान कर दिया जावे। 43 लाख रुपये बकाया वेतन जो भुगतान किया जाने वाला था उसमें से 40% का योगदान एस बी आई करेगा, 20% का आ ई सी आई सी आई. करे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैन्क आफ इंडिया (आय डी बी आय) 20% दे, और शेष बचा हुआ 1/5 खटाउ खुद भुगतान करे।

वह चाहती थी कि बिल्डर अपने वायदे को पूरा करे क्यों कि सारी स्कीम का दारोमदार उसी पर निर्भर था, - 'क्यों कि यहां समय बहुत महत्व पूर्ण है, हम सभी को बी आ एफ आर, श्रमिकों और शासन को अपने हाथ मिला लेना चाहिये और वह पैसा जो अधिकृत रुप से कम्पनी को बिल्डर्स द्वारा दिया जाना है उसे वसूल कर लेना चाहिये। मैं निश्चित रुप से मिल को नवम्बर में चलाना शुरु करना चाहूंगी। और नहीं, कोई भी विक्रय बिल्कुल नहीं होगा।' - उसने वायदा किया। आर्थिक संस्थाओं से जिस सीमा तक सहायता की आशा की जा सकती है वह यहां अभिप्राय पूर्ण है, वे यदि पुराने कर्जो को रद्द कर देती है या नये ऋण देत है तो केवल इसलिये कि श्रमिकों की सुरक्षा उन्हे मिल्स की वेतन-सूचि में बताये रखने में है। इसलिये वह जमीन जो मिल के अधिकार में थी उसे ऐसी निजी संपत्ति न समझा जाय, जिसे जब चाहा बेंच दिया। मिल्स तो सार्वजनिक कोष पर चलती है और वे श्रमिकों की नैतिक और सार्वजनिक जिम्मेदारी वहन करती हैं।

अंतत: श्रमिकों द्वारा मृत्य पर्यन्त अनशन करने और कोर्ट की अवमानना के एक मामले से विवश होकर पन्ना खटाउ ने मात्र एक माह की बकाया वेतन राशि का भुगतान कर दिया। जी के एस एस को यह समझ में आ गया कि जब तक वह स्वयं कोई कार्यवाही नही करता श्रमिक तो पूर्णत: वंचित ही रहने वाले हैं। उसने अपनी ही 21 करोड़ रुपयों की योजना बनाई। इस पुनर्जीवनीकरण योजना के अंतर्गत उसने यह प्रस्ताव रखा कि मिल को एक सहकारी समिति को चलाने के लिये दे देना चाहिये। सभी श्रमिक इस सहकारी समिति के सदस्य बनेंगें और अपने प्रावीडेन्ट फन्ड से हरेक सदस्य रु. 5000/- का योगदान करेगा। यह कुल राशि रु. 3 करोड़ होगी, महाराष्ट्र शासन का भी इतना ही योगदान समिति के लिये होगा। मिल चलाने के लिये प्रोफेशनल व्यवस्थापक की जरुरत होगी। जैसा कि पूर्व में एक ऐसी बीमार औद्योगिक इकाई के बारे में जो श्रमिको द्वारा चलाई जा रही थी, अनुभव हुआ था। वह मुंबई के प्रति 'कमानी इन्जीनियरिंग' का मामला था। संचालको का एक बोर्ड बनाया जायेगा जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधी, व्यवस्थापक, व्यावसायिक टेक्सटाइल विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामांकित किये जायेगें तथा आर्थिक संस्थाओं के और बी आई एफ आर के नामांकित प्रतिनिधी भी शामिल किये जायेगें। उन्हे जरुरत होगी एक व्यावसायिक प्रबंध व्यवस्थापक की और अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की जो मिल की निर्माण तथा बाजार व्यवस्था को देखेगें।

मीना मेनन जो जी के एस एस की एक समिति सदस्या थी ने स्पष्ट किया कि समिति जमीन के विक्रय के प्रस्ताव के विरुध्द नहीं है लेकिन ऐसे प्रस्ताव पर तब तक के लिये मोरेटोरियम (विलम्बन) आदेश चाहती है, जब तक कि इस बारे में नीति संम्बधी निर्णय नहीं हो जाते। ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय इस पर ध्यान देना होगा कि इससे कितना धन उत्पन्न होगा और उस विक्रय से शहर कैसे लाभान्वित होगा। उसने आगे कहा- 'विक्रय के लिये एक एकीक्रत योजना होनी चाहिये।'[24] पर सचिन अहीर ने श्रमिकों की सहचारी समिति के विचार को अव्यवहारिक बतलाकर अमान्य कर दिया।[25]

आई सी आई सी आइ ने एक सुधारित रु.175 करोड़

का पुनर्जीवनीकरण पेकेज तैयार किया, जिसके अनुसार भायखला इकाई का आधूनिकीकरण किया जा था। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने आई सी आई सी आई को बतलाया कि खटाउ के व्यवस्थापकों के प्रति उनका विश्वास खो चुका है और उसे गंभीर सन्देह है कि उनका मिल चलाने के बारे में क्या इरादा है? बी आई एफ आर ने भी व्यवस्थापकों की रिवाइज्डस्कीम का प्रतिवाद किया था। राज्य श्रम मंत्री शबीर शेख की मीठी बातों के बावजूद न तो पन्ना खटाउ की स्कीम का ही कुछ हुआ और न ही श्रमिको द्वारा प्रस्तुत स्कीम का।

अगस्त 1999 में आर एम एम एस के अनुसार बी आई एफ आर ने पन्ना खटाउ के सहयोग से मिल को फिर से चालु करने की अनुमति दे दी। श्रमिकों को उनके 30 माह के वेतन की एक तिहाई राशि और तीन साल का बोनस मिलना था। बी आर एस देकर श्रमिकों की संख्या 1500 से कम करने का भी एक प्रस्ताव था। इस स्कीम को लागू करने के लिये 102 करोड़ रुपये की जरुरत थी। जिसका एक तिहाई तो खटाउ देने वाले थे और 37 करोड़ रुपये बोरीवली की अतिरिक जमीन के विक्रय से मिलने वाले थे। कृष्णा और फतेह नव-निर्माण ये दो कन्सट्रक्शन कम्पनीज ने उस जमीन को खरीदने में अपनी रुचि दिखलाई थी। जी के एस एस ने इस स्कीम हस्ताक्षर किये थे जिसके मुताबिक 6 महिने पहले, श्रमिकों को उनके वेतन का 1/3 भुगतान किया जाना था, जो नही किया गया। इससे यह सिद्द होता था कि मिल मालिक केवल जमीन बेंचने में रुचि रखते है न कि मिल को फिर से शुरु करने में। आगे उसने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार भी मिल के भविष्य के विषय में कोई रुचि नहीं रखती, यहा तक कि बी आई एफ आर की सुनवाई के अवसर पर उसने अपना प्रतिनिधी भी नही भेजा था।

मिल और कारखानों की भूमि से गेंगस की नजर हटी

जनवरी 1997 में दत्ता सामंत की, उसके घर के सामने, चार किराए के हत्यारों ने, निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी, जिसने संपूर्ण ट्रेड यूनियन आदोलन की दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। हत्यारों के बारे में तरह तरह के अनुमानों का कोई अंत न था। अपनी हत्या से पहले सामंत प्रीमियर आटो मोबाइल के लम्बे खिंचे और अंततः असफल 'लाक आउट' में उलझा हुआ था। प्रीमियर आटो मोबाइल का पूगोट से साझा था तथा कुर्ला और डोंबीवली में उसकी फेक्टरीज थीं। डॉ. सामंत, अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता और एक पेशेवर मेडीकल डाक्टर था, जिसने अपना महत्व इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज में बनाया था। उसके ज्यादातर मरीज पत्थरो की खदानों में काम करने वाले मजदूर थे, जिनके संपर्क मे आने से डा सामंत उनके संघर्ष में शामिल हो गया। अपनी शक्ति की ऊंचाई पर, दुनिया भर में शायद वह सबसे अधिक श्रमिकों का समर्थन पाने वाली एक ऐसी यूनियन का नेता था जो एक अकेले व्यक्तिद्वारा चलाई जा रही थी। वह अन्य मजदूर यूनियनों से जो राजनैतिक पार्टियों से या अन्य गुटो से सम्बंधित रहती है बिल्कुल अलग था। उसकी कामगार अघाडी (श्रमिक आन्दोलन) के नेतृत्व में 2.5 लाख श्रमिक 300 औद्योगिक इकाइयों मे।

1982-83 में टेक्सटाइल स्ट्राइक को बहुत लम्बा खींच देने के लिये, आमतौर पर यह समझा जाता है कि उसकी नीति गलत रुप से आंकी गई थी पर अकेले अपनी दम पर इस उद्योग को अपने घुटनों के बल बैठाने वाले के नाम से उसे हमेशा याद किया जायेगा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि प्रारंभ में वह इस उद्योग के संघर्ष में। जिससे कि वह परिचित भी नही था, भाग लेने का अनिच्छुक था। अंततः दो बातें पूरी तरह से सिध्द होती है, एक तो यह कि उद्योगपति, शासन और उच्च वर्ग डा सामंत के आक्रमक तरीको के बारे में भले ही कुछ सोचें पर श्रमिक वर्ग में उसका बड़ा सम्मान था। वह लोक सभा के लिये चुना गया था जबकि एक साल पहले ही उसकी 18 महिने की लम्बी टेक्सटाइल हड़ताल समाप्त हुई थी। (औपचारिक रुप से तो उसके खत्म होने की घोषणा कभी नहीं हुई) फिर भी वह जीतने वाले पांच नॉन काँग्रेसी संसद सदस्यों मे से एक था। अधिक महत्व की बात तो यह है कि यह तब हुआ जब मिडिया संपूर्ण ट्रेड यूनियन

आंदोलन की मौत की घंटी बजा रहा था। नवम्बर 1996 में 'बिजनेस इंडिया' में छपी एक कवरस्टोरी का शीर्षक था- 'ट्रेड यूनियन्स : लासिंग क्लाउट ?'- (क्या ट्रेड यूनियन्स अपना असर खो रही हैं ?) श्रमिक उसका सम्मान करते है जो समझौता नही करता और शायद वर्तमान राजनीति की दलदल के बाहर वह आखरी आश्रयस्थान था। यह इसी पर से सिध्द हो जाता है कि उसके अंतिम संस्कार की अंतिम-यात्रा में भाग लेने के लिये हजारों की भीड़ उमड पड़ी थी लोगों का सैलाब परेल और लाल बाग के रास्तों पर अटूट चला आ रहा था।

उसके तरीको के प्रति सारी व्यवस्था कितनी सशंकित थी, यह अदांज उन सम्पादिकयो द्वारा लगाया जा सकता है जो उसकी हत्या के बाद समाचार पत्रो मे छपे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी समीक्षा का शीर्षक दिया था- 'श्रमिक वर्ग विरोधी हीरो दत्ता सामंत का मुंबई पर प्रभाव विनाशक था।'

जिसने भी उसे शक्ति सपन्न होते देखा है, विशेष कर 70 के दशक के अंत में और 80 के प्रांरभ में तब जब कि लेबर यूनियन्स उसकी मुठ्ठी में थी, यह विचार किये बिना नहीं रह सकता कि उसकी 'शुरुवातों में ही उसका अंत छिपा हुआ था' - - - - सर्वोपरी तो वह जो मुंबई के औद्योगिक स्टेट्स के लिये खतरा था और जो श्रमिक वर्ग के लिये एक महन्त आशा, उसे एक ऐसे व्यक्ति के रुप में याद करना ही होगा जिसने कि मुंबई में ट्रेड यूनियन आंदोलन के भाग्य को समाप्त कर दिया। - - - - 'यूनियन्स जितनी अधिक ताकत दिखलायेंगी उतना ही अधिक अच्छा उसका प्रतिफल होगा।- -' एक ऐसा करियर जो श्रमिकों की हिमायत से बना था उसका उच्च बिन्दु तब आया जब कि गलतरुप से सोची गई और बुरे ढंग से क्रियान्वित की गई 1982 की हड़ताल के कारण शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़े श्रमिकों के समूह का एक तिहाई भाग बिनस्ट हो गया। आठ महिने लम्बी देक्सटाइल के द्वारा सामंत वह कर सका जो कोई भी शासकीय या व्यवस्थापकीय नीति नहीं कर सकती थी। इस हड़ताल ने एक बीमार उद्योग के आधुनिकीकरण की नीवं तैयार कर दी पर उसके लिये जो मानवीय कीमत चुकाई गई वह किसी भी द्रष्टि से अधिक थी। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि कामगार अघाडी यूनियन्स उस विनाश के बाद भी फलफूल रही है। [28]

टाइम्स के सम्पादकीय ने भी उसी सुर में लिखा, शीर्षक था 'एक हिन्सक अंत' (ए वायोलिन्ट एंड)

'70 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुवात में, सामंत शहर में श्रमिक वर्ग जे लिये एक व्यक्तिगत कल्ट' जैसा ही बन गया था क्यों कि वह मुंबई की आर्थिक-बाढ़ के समह में, प्रमुख उद्योगों की इकाइयों के व्यवस्थापकों से बड़ी बड़ी रियायतें खींच ले ज सका था। इन उपलबधियों के लिये उसने निर्भयता पूर्वक हिंसात्मक तरीकों अपनाया और व्यवस्थापको को झुका दिया था।इसी प्रकार इन तरीकों का प्रयोग उसने अन्य विरोधी ट्रेड यूनियन्स के साथ भी किया था। सामंत ने अपनी यूनियन का नेतृत्व अपने वास्ताविक जीवन के व्यक्तित्व से कही अधिक बढ़कर किया, जिसके कारण उसकी यूनियन पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गई थी। दुर्भाग्य से मुंबई मे ट्रेड यूनियनिज्म के पतन के कारण जो रिक्त-स्थान हुआ था, उसे भरने के लिये अडंर वर्ल्ड ने बड़े तरीके से अपनी घुस पैठ शुरु कर दी थी। पोलिस नें इस बात की तस्दीक कर दी थी कि सामंत की हत्या सुपारी देकर करवाई गयी हत्या थी, जिससे इस बात की पुष्टी होती है कि उसकी हत्या किसी शक्तिशाली गैंग के द्वारा किन्ही तिहित स्वार्थो के लिये कराई गई थी। एक ऐसे नये वर्ग के ट्रेड यूनियन नेताओं का उदय हो रहा है, जिनका सम्बंध अंडरवर्ल्ड से होता है। उदाहरण के लिये सचिन अहीर जो गवली का भतीजा है की,कांग्रेस समर्पित आर एम एस एस के जनरल सेक्रेटरी के पर नियुक्ति, इस तथ्य की पुष्टी करती है। यह ट्रेन्ड़ और इसके साथ धीमी गति से बंद पड़ते हुए उद्योग मिलकर मुंबई महानगर में ट्रेड यूनियन आन्दोलन को चुनौति दे हि है। उसकी क्रुर हत्या स्पष्ट ही उस कहावत पर खरी उतरती है कि हिन्सा से और अधिक हिन्सा पैदा होती है। [29]

यूनियन्स का सैनिकीकरण और सख्ती से हाथ मरोड़ ने की युक्ति के साथ अंडर वर्ल्ड के घृणित अपराधों, के ऐसे समीकरण की बिल्कुक जरुरत नहीं थी। एक संशकित लेखक ने 'इकानामिक एंड पोलिटीकल वीकली' के एक लेख में यह अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि आखिर उसकी मृत्यु के लिये कौन जबाबदार हो सकता है।-

'- रियल एस्टेट के भू स्वामी और औद्योगीकरण की नीति बनाने वाले लोग जिनके लिये सामंत एक कंटक था?'

- कार्पोरेट नेता, जैसे कि प्रीमियर आटोमोबाइल्स के मालिक लोग जिनके अपने उद्योग के विकेकीकरण के सपने, सामंत के जिद्दी रुख ने चूर कर दिये ?

- ठाकरे और उसके साथी, जो इस बात डरे हुए थे कि सामंत श्रमिक वर्ग को एक लड़ाकू वर्ग में बदले दे रहा है और जो बीजेपी और शिवसेना सरकार के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुध्द आवाज उठा रहा था ?

- या अंडरवर्ल्ड के डान्स की यह कारस्थानी थी?- जो मुंबई के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को तोड़ने पर तुले हुए थे और जो मध्यमवर्गीयों द्वारा चलाये जा रहे आर्थिक सुधारों की धुन पर नाच रहे थे? श्रमिक वर्ग के शत्रुओं ने एक ऐसे नेता से पीछा छुड़ा लिया जो अब भी श्रमिको के अधिकारों के लिये मुंबई हांगकांगीकरण के इन काले दिनो में भी लड़ने का साहस कर सकता था।

टेक्सटाइल उद्योग का यथाक्रम विनाश एक ओर तो पावरलूम्स के पुनर्निमाण के कारण हुआ और दूसरी ओर नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को अंदर से, सच पूछो तो आफीशियल समर्थन से नुकसान पहुँचा कर दिया गया था जबकि अक्सर इसका कारण मुंबई टेक्सटाइल हड़ताल तो मुंबई में हो रही है और अन्य शहरों जैसे अहमदाबाद, कानपुर और पश्चिम बंगाल से कोई विरोधी आंदोलन मुंबई से मिलता जुलता नही है। तो फिर यह कैसे हुआ कि आज सारे भारत में टेक्सटाइल उद्योग कभी ठीक न होने वाली विपत्ति में फसां है ! 1982 की टेक्सटाइल हड़ताल की सबसे महत्वपूर्ण मांग यह थी उस ट्रेड यूनियन को, जिसका मिल में बहुमत हो मान्यता देना चाहिये- - - और अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि 1982 की हड़ताल ने मुंबई के टेक्सटाइल श्रमिकों को अपनी एक नई पहचान दी थी, जिसका कि उन्हे अभी भी है।[30]

नवम्बर 1997 में, पोलिस ने सामंत की हत्या का मामला अनसुलझा करार देकर बंद दिया। इस मामले में16 अपराधियों के नाम आरोपित किये गए थे जिनमें से 9, जिनमें छोटा राजन और गुरु साटम शामिल थे, गायब पाए गये थे। सचिन अहीर से भी पूछ ताछ की गई थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रीमियर आटोमोबाइल्स के प्लांट्स में विभिन्न यूनियन्स की प्रतिद्वदन्दिता इस हत्या के लिये जिम्मेदार थी। यूनियन वालों ने बतलाया था कि कैसे सामंत और अहीर के बीच झगड़े होते रहते थे। अहीर के बारे में तो यह भी रिकार्ड था कि उसने मिल मालिकों के द्वारा उनकी जमीन बेंचने के विवादपूर्ण प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था। अहीर की घुसपैठ तो शहर की टेक्सटाइल मिल्स के बाहर भी हो रही थी, जिसके कारण उनकी प्रतिद्वन्दिता बहुत धनी हो गई थी। मोदीस्टोन के सिवरी यूनिट से सामंत को बाहर निकालकर अहीर को वहां की यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग जायंट, रिचार्डसन एंन्ड क्रूदास में भी अहीर ने प्रवेश करने का प्रयास किया था। इस बारे में पिछले साल सामंत ने यह आरोप लगाया था कि प्लांट के व्यवस्थापन प्रतिनिधी अहीर को प्लांट में घुमा रहा थे, जिससे कि वहां के श्रमिकों पर एक दबाव बनाया जाय। सामंत कि यूनियन के एक सदस्य के अनुसार - 'अहीर ने उस फैसले का नजदीक से पीछा किया जो सामंत के सुझाव के मुताबिक बी आई एफ आर ने किया था कि, 36 एकड़ जमीन जो फर्म के मुलुंड युनिट की थी, को नहीं बेचा जाय।'[31] जुलाई 2000 में तीन हमलावर आरोपियों को जो छोटा राजन और गुरु साटम गेंग से सम्बंधित थे, सामंत की हत्या के लिये अपराधी घोषित कर दिया गया। दादा सामंत इस फैसले से असंतुष्ट था

क्यों कि उसे विश्वास था कि छोटी मछली को तो अभियुक्त बनाया गया है, पर वह जानना चाहता था कि उन्हे किसने उस हत्या के लिये पैसा दिया था। सामंत के प्रीमियर आटोमोबाइल्स प्लांट यूनियन के प्रतिद्वन्दियों को छोड़ दिया था। [32]

इंजीनियरिंग श्रमिकों की सामंत की एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बी.एस.घुगे के अनुसार मुलुंड भांडूप इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में बहुत से झगड़े थे, जिनमें वे कम्पनियां शामिल थी जो अपनी जमीन बेंचने की कोशिशे कर रही थी, जिनके बारे में उसने महसूस किया था कि उनकी जांच की जाना चाहिये। बंद पड़ गई ए पी आई स्कूटर फेक्ट्री के प्रबंधक जो मुथैया ग्रुप से सम्बंधित थे अपनी 35 एकड़ जमीन बेंचना चाहते थे। जिसका कि अनुभवी नेता ने विरोध किया था। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'एटरनिट एवरेस्ट' भांडूप में स्थित थी जिसमें 300 श्रमिकों से त्यागपत्र जबर्दस्ती लिये गये थे और भुगतान देकर निकालने का एक समझौता किया। सामंत- यूनियन ने दावा किया कि श्रमिकों से त्यागपत्र जबर्दस्ती लिये गये थे और भुगतान की राशि असल में बिल्डर ने चुकाई थी। यद्यपि अफवाहों के कारखाने ओवरटाइम काम कर रहे थे और बहुत से लोगों ने यह शंका भी प्रकट की थी कि सामंत की हत्या मिल मालिकों ने ही करवाई होगी क्यों कि वह खाली भूमि के विक्रय का विरोधी था, पर इस बात की सच्चाई का बिल्कुल ही कोई सबूत नहीं था। सभी प्रकार से यही संभव था कि वह विभिन्न यूनियन्स की परस्पर प्रतिद्वन्दिता ही थी, जिसने उसकी जान ली।

अपनी मृत्यु के एक महिने पहले दत्ता सामंत ने 'बाम्बे टाइम्स' को अपना एक इंटरव्यू दिया था, यहां उसके कुछ अंश प्रस्तुत है-' मै यह सोचता हूं कि सेना-बीजेपी सरकार अधिक खतरनाक है क्यों कि सामने से वायदे करना तो एक बात है पर उसे जब क्रियान्वित करने का मौका आता है तो वे अपना मुंह फेर लेते है । मनोहर जोशी कहते रहे कि मैं मिल-भूमि नही बेंचूगा लेकिन मिल और फेक्ट्रीमालिक जा पहुँचे बाल ठाकरे के पास, उन्होंने श्रम मंत्री शबीर शेख को निर्देश दे दिये। शेख तो वास्तव में कुछ मामलों में, जब दांव बहुत ऊँचा हो तो श्रमिकों को धमकी भी दे डालते हैं। जैसे कि मुकेश मिल्स जो कुलाबा के पास है और जहां 12 एकड़ प्राइम भूमि का मामला है, आज की कीमतों के अनुसार उस जमीन कि कीमत तो रु. 1000 करोड़ से ऊपर है।'

'मिल और फेक्ट्री की जमीन आवासीय या व्यापारिक उपयोग में नही लाई जा सकती, जब तक कि नगर विकास विभाग उसे उपयोग बदलने की अनुमति नही दे देता।- - मिल मालिक सच पूछो तो मिल को चलाना नही चाहते।- - कोन चाहेगा ? जब सरकार ही उच्छुक है पीछें झुक कर मिल भूमि के विक्रय की इजाजत देने की। क्या आपको मालुम है कि उस मिल भूमि के जो दक्षिण मध्य मुंबई में प्राइम प्रापर्टी है, आज के भाव क्या हैं ? यह कुछ करोड़ रुपयों का सौदा नही है बल्कि हजारों करोड़ का सौदा है। दांव बहुत बड़ा है, दोनों के लिये, मालिकों के लिये भी और शिवसेना बीजेपी सरकार के लिये भी यह तो सचमुच में सोने की खदान है।'

'मैं जानता हूँ कि अगले 3 सालों में कोई मिल बाकी नही बचेगी और मैं इसके लिये चिंतित भी नहीं कि मेरे पास कोई काम नहीं होगा। पर तब उस एक बात का खेद रहेगा कि सारा मामला एक बड़ा षड़यंत्र था। ये वही गिरणी कामगार है, मराठी मानुष, जिन्होंने सेना बनाई है और जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लिया था।

ठाकरे के सगे-सम्बंधी एक हत्या अपराधी करीम मरेडिया के साथ मिलकर एक कॉम्पलेक्स के कन्सट्रक्शन के लिये अनुबंधित है जो साकी नाका स्थित माणिकलाल कम्पाउंड की 16 एकड़ की भूमि पर बनाया जायेगा। वर्तमान में मै ऐसी बहुत सी योजनाओं का विरोध कर रहा हूं जिनमें थाने और मुंबई की सैकड़ो एकड़ जमीन शामिल है। चेम्बुर में के लिको केमीकल्स की 60 एकड़ भूमि, थाने में पोयशा -इंडस्ट्रीज की 35 एकड़ जमीन, भांडूप में एक आटोमोबाइल प्रोडक्शन कम्पनी की 35 एकड़ जमीन और बहुतसी अन्य मिल्स और फेक्टरीज की भूमियां। सच पूछो तो मैं जानता हूँ कि मैं अधिक

समय तक इनका विरोध करते नहीं रह सकता, क्यों कि इनकी रणनीति यह है कि श्रमिक मानसिक रुप से टूट चुके हैं। [33]

एक दक्ष यूनियनिष्ट होने के नाते सामंत को इस बात का एहसास था कि आर्थिक उदारीकरण और कंपनीज द्वारा अपनी माल-सम्पति के बेचने पर लगी रोक को ढीला करना, ऐसे काम हैं जो श्रमिकों के हितों के विरुध्द हैं पर श्रमिक इस चढ़ते हुए तुफान को रोकने में असमर्थ हैं। उसने एक उदाहरन दिया कि कैसे एक अफवाह मात्र से कि एक फेक्ट्री बंद हो रही है उसके श्रमिको में असुरक्षा के वातावरण के कारण, वी आर एस लेने के लिये दौड़ शुरु हो जाती है, फिर भले ही उसके रेट्स कुछ भी प्रस्तावित किये गये हों। और फिर जले पर नमक छिड़कने की तरह रात को छिपा कर मिल से लूम्स का निकाल ले जाना श्रमिकों के साहस को तहस नहस कर देता था। उसने यह भी बतलाया कि कैसे कुछ दिन पहले उसने मनोहर जोशी का सामना किया था, जिसने 1/3 भूमि के विक्रय का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सामंत को लगा यह बहुत बड़ी मांग है क्यों कि पवार ने भी इसका ही वायदा किया था और जब निर्णय बदलने का समय आता है तो मालिक के लिये 1/3 का नियम हटा दिया जाता है। अब एन टी सी मिल भी बिक्री के लिये आगे आ रही हैं तो राज्य सरकार ही तो उसे उपयोग बदलने की अनुमति देगी। जरा ठहरो और फिर देखना कि कितने पैसों का लेनदेन होता है ! अपनी हत्या के केवल दो दिन पहले ही लगता है उसे अपनी हत्या का आभास हो गया था जब कि उसने एक पत्रकार से कहा था- 'मै सो चला हू कि केवल मैं ही एक ऐसा मूर्ख ट्रेड यूनियन नेता हूं जो श्रमिकों के अधिकारों के लिये लड़ाई लड़ रहा है और मै जानता हूं कि जब मै मरुगां तो मेरे लिये कोई रोने वाला न होगा।'

समाधि पर खुदे लेख की तरह एक बैठक में मारे गये नेता को जो श्रद्धांजलियां दी गई वे बहुत महत्वपूर्ण है। यह बैठक एम एम आर डी ए की 1996-2001 की क्षेत्रीय योजनाऔ के प्रति नागरिकों की प्रतिक्रिया जानने के लिये बुलाई गई थी। नारायण सुर्वे जो एक प्रसिध्दी मराठी मौलिक कवि है जिन्हें इस टेक्सटाइल श्रमिक परिवार ने गोद लिया थे, ने बैठक में जोर देकर कहा कि - 'जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया था उन्हे पीछे दीवार तक ढकेल दिया गया है क्यों कि मुंबई को शंघाई या हांगकांग बनाना था।' - वातावरण संरक्षण की उग्रनेता मेधा पाटकर जिन्होंने नर्मदा बांध के विरुध्द ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, ने क्षेत्रीय योजना के इस प्रस्ताव को मुंबई क्षेत्र के विनाश का नक्शा बतलाया। उन्होंने कहा कि, '- जो शक्तियां जनविरोधी योजनाओं का क्रियान्वयन करने को बाहर आई है वे इतनी बलवान है कि केवल एक डॉक्टर सामंत की ही नही बल्कि हम सबकी हत्या कर सकती है। [35]

अभी हाल कि कुछ वर्षो में, पहले निराश पड़ गये यूनियन वालें, मानव अधिकार कार्यकर्ता और वातावरण सरंक्षण कार्यकर्ता जैसे सभी लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे है। उन्होंने 1998 में किय गये न्यूक्लियर परीक्षण का सम्मलित विरोध किया था। उसी वर्ष में बीजेपी और उनके साथी दलों के द्वारा समर्पित साम्पदायक आक्रमणों का भी मिल कर सबने विरोद किया था।

रघुवंशी मिल का ठक्कर

सामंत की हत्या के केवल 3 महिने बाद 17 अप्रेल 1997 को तीसरी और आखरी हत्या ने, देश की व्यापारीक राजधानी को हिला कर रख दिया। रघुवंशी मिल के मालिक वल्लभभाई ठक्कर की, उसकी अपनी गाड़ी में दो हजारों ने पाइंट ब्लेंक रेंज से गोली मार कर हत्या कर दी। चूंकि ठक्कर स्वेछा से अपनी स्वंय की कार में दोनों हत्यारों को साथ ले गया था इसलिये यह स्पष्ट था कि वे एक दुसरे को जानते थे। पुलिस के अनुमान के अनुसार इन गेंगस्टरों को सदा पावले ने भेजा था। सदा पावले अरुण गवली का खास सहायक था और गवली को कैद की सजा हो जाने के कारण वही गैंग का कारोबार चला रहा था। हत्यांरो

को मिल मालिक से वह पैसा वसूलने के लिये भेजा गया था जो ठक्कर के कुछ किराएदारों से जगह खाली करवाने के काम के लिये उसे देना था। (रघुवंशी मिल के एक श्रमिक के अनुसार आर एम एम एस, जिसका कि प्रमुख गवली का भतीजा सचिन अहीर था, तम्बाकु के पत्तों की गड्डी की तरह सेठों की जेबों मे रहने वाला था) हत्यारे निश्चय ही डॉकलैण्ड के निजी रास्ते से भाग निकले। गवली का पूर्व बॉस एक डॉक यूनियन का नेता बाबू रेशिम था जो अपने समय में डॉक में बहुत से लोगों को काम पर रखता था। मजगांव डॉक एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन था, उसमें जो निजी सड़क थी उस पर से आने जाने के लिये पावले और उसके लोगों को पास दिये गये थे। [36] सिवरी में डॉकलैडं न केवल भोगौलिक रुप से मिल के नजदीक था बल्कि समान रुप से अतिरिक्त ओद्योगिक भूमि की समस्या से ग्रस्त था। (आगे अध्याय व्हिआयआय में विवरण है) कुछ महिनों के बाद ही सदा पावले पुलिस द्वारा मारा गया था।

ठक्कर की हत्या के तुरंत बाद शहर बाद शहर के उद्योग पतियों का एक शिष्टमंडल प्रधान मंत्री इंदर गुजराल से इस शिकायत के साथ मिला कि सेना बी जे पी की युति सरकार के राज्य में बाल ठाकरे ने तुरंत इस दोषारोषण का खंडन किया। 'यह ठक्कर की ही गलती थी कि उसने झोपड़पट्टी वालों से जमीन खाली कराने और घरों के गिराने का काम गैंगस्टर को सौपा। यह व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला था जिसका सार्वजनिक समाज से कोई सम्बंध नही है।' ठाकरे ने खास तौर पर सुनीत खटाउ का उदाहरण दिया कि उसकी हत्या तो तब हुई थी जब शरद पवार के नेतृत्व में काँग्रेस सरकार का शासन था। [37] आर एस एम एस के अध्यक्ष गोविन्दराव आदिक ने भी ऐसे ही उद्गार प्रकट किये - 'यह तो स्पष्ट है कि यह व्यक्तिगत व्यवहार का ही प्रतिफल था और इस हत्या का उसके श्रमिकों या मिल से कोई सम्बंध नही था। रघुवंशी मिल मे भूमि विक्रय का कोई प्रस्ताव नही था। [38] पी. एन. दादा सामंत, जो सामंत का भाई था और अब कामगार अघाडी का अध्यक्ष था, ने सटक तौर पर बिल्डर्स की लाबी पर ठक्कर की हत्या का आरोप लगाया था।'

ठक्कर खटाउ की तरह किसी प्रमुख मिल मालिक परिवार का वंशज नही था। कहा जाता है कि वह तो एक कपड़ा व्यापारी था और कालबादेवी में मगंलदास मार्केट का मालिक था वह वही क्लाथ मर्चेन्ट असोसिएशन का अध्यक्ष था और उसने लोहा और केमिकल्स के धंधे में भी बहुत पैसा बनाया था। जाहिर है कि उसने इतना अधिक धन कमाया था कि कुछ फिल्मों को भी फायनांस किया था। उसने बिल्डिंग के धंधे में भी बड़े पैमाने पर प्रवेश किया था और वह अजीत सिंह ग्रुप ऑफ कम्पनीज का मालिक था। उसने रघुवंशी मिल्स को 1993 में मेहता परिवार के तीन सदस्यों से खरीदा था। उसका इरादा था कि वह मिल के रियल इस्टेट के हिस्से को या तो बेंच लेगा या डेव्हलप कर लेगा। मिल 1989 में बंद पड़ गई थी और तब उसमें। 1,100 श्रमिक थे। इसके बाद यूनियन और मालिकों के बीच मिल भूमि के विक्रय को लेकर झगड़ा चल रहा था। वह एक बीमार इकाई थी जिसे पुनर्वसन के लिये बी आय एफ आर में ले जाना पड़ा था। विश्वास किया जाता है कि ठक्कर ने मिल के आधुनिकी करण पर 9 करोड़ रुपये खर्च कर डाले थे और यह पूर्णतया एक स्पिनिंग यूनिट था जो कॉटन और अन्य फेब्रिक्स को मिला कर धागा बनाता था। प्रकट रुप से उसने मिल को इसलिये पुनर्जीवित किया था कि जिससे वह यह विश्वास पैदा कर सके कि रियल इस्टेट को भी डेव्हलप किया जा सकता है। ठक्कर ने उसके पास ही स्थित अम्बिका मिल्स को भी खरीद लिया था जो बंद पड़ी हुई थी और जिसकी भूमि उसकी हत्या के समय डेव्हलप की जा रही थी।

इन दो मिलों के अतिरक्त ठक्कर के स्वामित्व के दो प्लॉट्स थे और प्रापर्टीज वालकेश्वर में उसके निवास में उसके निवास स्थान के निकट थी, बाणगंगा एक प्राचीन तालाव और हेरीटेज स्थल जिसे पूरकर बहुत से बिल्डर बिल्डिंग

बनाने को आतुर थे 1), ब्रीचकेन्डी, कालबादेवी और उपनगर पोयसर में उसकी प्रापर्टीज फैली हुई थी। अंडरवर्ल्ड के सुत्रो के अनुसार और जिसकी समाचार पत्रों में भी खबर छपी थी कि दो साल पहले बाबुलनाथ कि एक बिल्डिंग को किरायेदारों से खाली कराने के लिये ठक्कर ने गवली से मदत मांगी थी। ठक्कर ने 11 बिल्डिंग्स खरीदी थी जिनकी कीमत कुल मिला कर 150 करोड़ रुपये थी। एक किरायेदार ने पुलिस को बतलाया था कि उसे किसी समझौते पर पहुँचने के लिये ठक्कर दो बार भायखला में दगड़ी चाल ले गया था जो कि गवली गेंग का अड्डा था। किरायेदार ने 7 करोड़ रुपये की मांग की थी जबकि ठक्कर उसे के बल कुछ लाख ही देना चाहता था। ठक्कर के बारे में आरोप था कि वह गवली से मिलने के लिये औरंगाबाद के जेल में भी गया था।

फरवरी 1998 में मणीष शाह जो एक बिल्डर था और ठक्कर का एक निकट सहयोगी था की हत्या उसके वालकेश्वर निवास के पास ही करदी गई गई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह भी गवली गेंग का ही काम था।[40] ठक्कर और शाह ने मिलकर उस क्षेत्र में 3 इमारते बनाई थी और सुरक्षा धन के रुप में करोड़ों रुपये गवली गेंग को दिये थे। ये सब बातें एक बार फिर यह स्थापित करती है कि, टेक्सटाइल उद्योग का पतन, उसकी पुनर्वास योजनाएँ, और उनमें बिल्डर्स और अंडरवर्ल्ड का शामिल होना एक मिली जुली सांठगांठ थी। सितम्बर 1999 में रघुवंशी मिल के 1600 श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन के रुप में मिल-परिसर पर कब्जा कर लिया क्यों कि उन्हे जुलाई में वतन नही मिला था। उस समय में मिल का नौजवान मालिक हेमन्त ठक्कर लंदन में रह रहा था।

नवम्बर 1998 में 'इंडियन एक्सप्रेस' के एक पत्रकार ने गवली गेंग के एक पूर्व सदस्य जो अब पुलिस का खबरी बन गया था का एक लम्बा इंटरव्यू लिया था। एक सीरीज जिसका सनसनीखेज शीर्षक था 'माइंड ऑफ दी मॉब' (भीड़ का दिमाग) के इस प्रथम भाग में वह लिखता है कि - 'एक्सप्रेस ने पता लगाया है कि छंटनी में निकाले गये श्रमिको ओर बेरोजगार नौजवानों का रास्ता 'अंडर वर्ल्ड' तक जाता है जो आज मुंबई में सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला है।'

एक पूर्व मिल श्रमिक ने, जो बाद में एक मथाडी (डॉक) नेता बन गया था उसने अपने को गेंगलैंड की भाषा मे 'समाज सेवक' बतलाया, जिसका काम था वकीलों, निचली अदालत के न्यायाधीशों और पुलिस वालों को रिश्वत देना, जिससे कि गेंगेस्टर की तुरंत रिहाइ निश्चित हो जाय यह पुलिस द्वारा उन्हे पीटा ना जाये। उसे दगडी चाल में अप्रेल 1997 में बुलाया गया था, मारधाड़ की गई और फिर फांसी की सजा सुना दी गई थी, जिससे कि भाग्यवश वह बच निकला। उसने बतलाया कि कैसे कॉटन टेक्सटाइल मिल उद्योग के पतन के साथ पूर्व-श्रमिक अपराध की दुनिया की ओर मुड़ रहे थे। आगे की कहानि है :

''परेल, वरली, लालबाग, कालाचौकी, भायखला जो गवली और अमर नाइक के परंपरा से गड़ है और जहँ कभी मुंबई का फलता-फूलता मिल इलाका था, वहां अब 'निगाह रखने वालो' की गुप्त सेना घुमती रहती है, विनष्ट हो रही चालों और एक मरे हुए उद्योग के खंडहर बन गए अस्थिपंजरो के बाहर निराशा से रास्ता ढूंढती हूई।''

अंडर वर्ल्ड बेकार हो गये मिल और अन्य उद्योगों के श्रमिकों के जवान बेटों को टेप करता है ''उस व्यक्ति ने कहा जो अपने आप को फौजी कहता है और जिसने 22 वर्ष टेक्सटाइल मिल में काम किया है।-'' इसकि शुरुवात होती बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाये बच्चों से कहा जाता है कि अगर वे किसी व्यक्ति पर या किसी पुलिसवाले पर या एक गश्ती गाड़ी पर किसी खास गली में वह कितनी बार आती है, इस पर निगाह रखोगे तो इसके लिये तुम्हे 2000 रु. मिलेंगें। तो एक परिवार को जिसकी मासिक आप सिर्फ 800 से 1000 रुं के बीच है यह रकम एक बड़ा बोनस हो गई और इसमें कोई गैरकानूनी बात भी नही होती है इसलिये सौदा पर जाता है।

पर यह तो होती हे शुरुवात बहकाने की,एक बार वह

इस काम को नियमित रुप से और आराम से कर लेता है, लोगों से यारी दोस्ती बढ़ा लेता है और कुछ व्यसन भी करने लगता है तब गेंग अपनी चाल चलता है। 'हम उसकी गिरफ्तारी करवामे है, अक्सर किसी छोटे से अपराध में ... और जब वह लड़का जेल से बाहर आता हे तो... उसे पहला काम दिया जाता है।'... इस काम को कर लेने पर वह ग्रेजुएट हो जाता है... तैयार; एक करियर के लिये, अंडरवर्ल्ड में।

दूसरा भरती करने का तरीका है, यूनियन्स में - चालबाजी करके लड़कों को या तो उन मिल्स में जो नाम मात्र के लिये चालु हैं काम पर लगाना या मथाडी टोली में भरती करवाना जहां उन्हें काम जो करना है वह बस यही कि हर महिने के पहले सप्ताह में पगार लेने के लिये जाना है। इस तरह एक बार लड़का जब उपकारों के भार के नीचे दब जाता है तब गेंग उसे अपने काम के लिये बुलाता है। -उसने कहा
अरुण गवली, रमा नाइक, अमर नाइक ये सभी टेक्सटाइल मिल श्रमिकों के बेटे हैं। इस तरह से ही उनके करियर की शुरुवात हुई थी और सालों की मेहनत के बाद उन्होंने आर एम एम एस जैसी यूनियन्स के व्यवस्थापन में बड़ी तरकीब से अपराधीकरण बढ़ाया था। आर एम एम एस ने यह निश्चित किया कि श्रमिकों को अपने वालेंटियरी रिटायरमेन्ट स्कीम की धन राशी में से भी एक हिस्सा यूनियन को देना होगा। - ''हमारी आफत यह है कि यह जो श्रमिकों की प्रतिनिधी संस्था कही जाती है यह है यह बिकी हुई है उन नींच व्यवस्थापकों के हाथ में और वह लगभग उनके गेंग्स का ही एक भाग बन गई है।'' - फौजी ने कहा

''जब तक मिल्स चालू थीं श्रमिकों का सामाजिक जीवन संगठित रहा'' - गिरीश श्री निवासन, इकानामिस्ट, 'रिसर्च यूनिट ऑफ पोलिटिकल इकानामी' का कहना है- '80 के दशक की शुरुवात में मिल्स के विघटन से वह संगठन भी बिखर गया। विशेषकर परेल लालबाग और वरली क्षेत्र में। आर्थिक दबाव के अलावा अपनी जड़ो से अलग होने का एहसास श्रमिकों में पैदा हुआ।' यह विशेष करके छटनी में निकाले गहे प्रवासी श्रमिलों के बच्चों में व्याप रहा है '- सनोबर शेखर, अपराध विशेषज्ञ का कहना है कि -' इन दूसरी पीढ़ी के प्रवासियों की वापसी के लिये कोई गांव नही है, उनका घर तो केवल मुंबई है जिसे वे जानते हैं। हम लोगों का एक ऐसा वर्ग पाते है जो अपने को वंचित महसूस कर रहा होता है। यह वर्ग एक ऐसे शहरी वातावरण में जी रहा है जो अभिव्यक्ति प्रधान है और प्रोत्साहित करता है कि सब कुछ यूं ही टंगा रहने दो, यह एक घातक सम्मिश्रण है।' [42]

यदि किसी ने ऐसा महसूस किया था की 'पुरानी औद्योगिक व्यवस्था टूट रही थी' तो वह दत्ता सामंत था। उसकी आखरी बड़ी लडाई पी ए एल आटोमोबाइल मेनेजमेन्ट से थी, जैसा कि हम देख चुके हैं। जैसा कि टेक्सटाइल हड़ताल में हुआ था वैसा ही यहा भी वह खेदजनक रुप से असफल हुआ दिखलाई दे रहा है। पी ए एल में 5 महिने के लम्बे लॉक आउट के बाद, पर्याप्त निर्माण कार्यक्षमता और अनुशासन के आश्वासन सहित समझौते पर, नवम्बर 1996 में हस्ताक्षर करने के बाद 80% श्रमिक काम पर वापस आ गये। एक आंतरिक यूनियन गठित की गई जिसके सदस्य, सामंत की यूनियन जो एक समय में इन्जीनिरिंग श्रमिकों की सबसे शक्तीशाली असोशिएन थी, को छोड़कर आए हुए श्रमिक थे। व्यंगपूर्ण स्थिती थी कि 1979 में इसी कम्पनी में हुए लॉक आउट में हो 14 दिन तक चला था तब व्यवस्थापकों ने सामंत कि यूनियन से समझौता करके श्रमिकों के वेतन में बड़ी वृद्धियां देना स्वीकार की थी, बशर्ते कि उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। इसी तरह के समझौते मुंबई, थाने, पुने और नाशिक के सारे ओद्योगिक क्षेत्रों के विभिन्न उद्योगों मे दोहराये गये थे। सामंत बड़ी शेखी से कहता था कि,- मैं ट्रेड यूनियनिज्म का आखरी बुर्ज हूं। - - - मैं जिन मामलों को उठा रहा हूं वे ट्रेड यूनियन्स के दायरे से कही अधिक विशाल और वृहद हैं। में आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता के मूल आधार पर, और उस दिशा पर जिधर ये ले जायेगा सवाल उठा रहा हूं। दुर्भाग्यवश ऐसा करनेवाला में अकेला ही हूं। [43]

1990 के दशक से देश में हड़तालो की संख्या और उनके कारण होने वाले काम के दिनों का नुकसान घट गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार 1991 में 1,810 हड़ताले हुई थीं और 1996 के प्रथम 6 माह में केवल 252 हड़ताले हुई थीं। 1991 में हुई हड़तालो के कारण 12.42 मिलियन मानव दिन बर्बाद हुए जबकि सिर्फ 5.61 मिलियन मानव दिन, आधे से भी कम दो वर्षो बाद बर्बाद हुए। तो भी लॉक-आउट्स के कारण होने वाली मानव दिनों की हानी वास्तव में बढ गई। 1991 में 14 मिलियन से 1993 में 14.68 मिलियन मानवदिन बर्बाद हुए। यह वृद्धि बतलाती है कि अब व्यवस्थापन श्रमिको के साथ अपने महत्वपूर्ण विवाद समझौतों के द्वारा सुलझाने के बजाय तालाबंदी में ज्यादा विश्वास करते है। बिजनेस इंडिया ने अपनी टिपण्णी में लिखा था कि, -' ट्रेड यूनियन्स के व्यवहार में जो समझने योग्य परिवर्तन हुआ है, उसका उदगम सीधा आर्थिक उदारीकरण की अनिवार्यताओं में खोजा जा सकता है। श्रमिक वर्ग की अपने को ऊँचा उठाने, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने की आकांक्षाओं के कारण आज उनकी आर्थिक आवश्यकता बढ़ गई है। वी आर एस या ऐसे ही अन्य प्रलोभन जब श्रमिक के सामने आते है तो वह अपने अधिकारो की बात करने की अपेक्षा हाथ में पैसा ले लेना पसन्द करता है। यह भी स्वभाविक है कि श्रमिक काम रोककर हड़ताल पर जाने के अनिच्छुक होते है क्यों कि वैसा करने से, उन्हे पैसा मिलना बन्द हो जाएगा।'- उसने उदाहरण दिया - ' एक बहुत असर दार मामला' - जो श्रीराम मिल्स का था- 'जहा यूनियन द्वारा विरोध के बावजूद श्रमिकों ने 'वी आर एस' लेना स्वीकार कर लिया। और व्यवस्थापकों को मिल की जायदाद को बेंचने की अनुमति दे दी। हरेक श्रमिक को 2 लाख या उससे अधिक व्यावहारिक द्रष्टिकोण, फिर भले ही अल्पदर्शी हो अपनाना चाहते हैं। श्रीराम मिल्स के मामले में, मिल्स के फिरसे शुरु होने की कोई आशा नहीं थी। श्रमिकों को उनका वेतन नहीं मिल रहा था। ऐसे में आन्दोलन करना व्यर्थ था, इसलिये श्रमिकों ने यूनियन की बात नही मानी।' [44]

जैसा कि हम आगे देखेगें, उपरोक्त वर्णन वास्ताविक वस्तुस्थिति से परे था।

नवम्बर 1998 में लेखक ने डॉ. सुजाता पटेल और डॉ. एलिस थोर्नर के साथ मिल कर 'वर्क एंड वर्कर्स इन मुंबई' (मुंबई में काम और कामगार) 1930 से 1990 तक '- इस विषय पर एक तीन दिवसीय सेमीनार दी एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडिया में आयोजित किया। डॉ. सुजाता पटेल जो समाजशास्त्र विभाग, पूणे विश्वविद्यालय से हैं और डॉ. एलिस थोर्नर जो 'सेन्टर फॉर दी स्टडी ऑफ साउथ एशिया' से है। दोनो ने पहले मिल कर 'मुंबई की सामाजिक आर्थिक स्थिति और उसकी संस्कृति' विषय पर 1992 में पुणे की एस.एन.डी.टी. यूनिवर्सिटी में हुए सेमीनार पर आधारित और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिये, दो पुस्तकों का संपादन किया था। [45] इस सेमीनार में लेखक ने एक पेपर प्रेजेन्ट किया जिसका शीर्षक था 'मुंबई कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की भूमि का पुनर्विकास : अवसर खो गया' यह पेपर बाद में इकोनामिक एंड पोलिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ था। [46] और संपूर्ण या कुछ अंशो मे, अन्य 'जर्नल्स और न्यूज लेटर्स' में रिप्रिन्ट भी हुआ था। 'श्रीराम मिल्स' विस्तार से किया गया 'केस स्टडी' है जिसमें गायत्री सिंह द्वारा प्रदत्त सामग्री का उपयोग किया गया है। गायत्री सिंह वकील हैं और जीके. एस एस की जनरल सेक्रेटरी हैं। पहले तीन केस जो इस अध्याय में दिये जा रहे है, उस पेपर में से लिये गये है।

स्थिति अध्ययन- श्रीराम मिल्स एक मिल के पुनर्विकास कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन ही यह बतला देता है कि श्रमिकों को उनके अधिकार नकारने के लिये किस प्रकार से मिल मालिकों की सरकार और आर्थिक संस्थाओं से मिली भगत होती है। मुंबई कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में 1982-83 की हड़ताल के पहले, श्रीराम मिल्स लोअर परेल में 9 हेक्टर (20 एकड़) भूमि में स्थित थी और उसमें 6000 श्रमिक काम कर रहे थे। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट (एस आय सी ए) के अंतर्गत उसे बीमार घोषित कर दिया गया था।

1991 में मिल्स ने एक नवीनीकरण स्कीम बी आई एफ आर को भेजी, जिसे उसी साल अक्टोबर में स्वीकृति मिल गई। कंपनी को 3,500 श्रमिकों को काम पर रहने देना था, जिसका अर्थ हुआ कि मिल का पुनर्वसन बिना किसी श्रमिक को काम पर से निकाले हो जाना चाहिये था। 24 एअर जेट लूम्स सहित नई मशीनें लगानी थीं और आधुनिकी करण 1992-93 तक पूरा हो जाना चाहिये था।

इस पर होने वाले खर्च को वहन करने के लियें, मिल की 1.2 लाख स्क्वेयर फीट जमीन को बेंचकर या रिडेव्हलप करके 1.1 करोड़ रुपये उपलब्ध करता थे। बदले में प्रमोटर्स को बहुत सी राहतें प्रदान की गई थी। गिरणी कामगार संघर्ष समिति (जी के एस एस) के अनुसार निम्न राहतें दी गई थी :

1) आर्थिक संस्थाओं और बैकंस द्वारा ब्याज पर और कर्जा वापसी में देरी के कारण दिया जानेवाला हर्जाना, माफ कर दिया जाएगा।
2) 1986 से 1990 के मध्यकाल में लिये गये कर्जो पर सामान्य 10% व्याज न लगा कर सिर्फ 6% व्याज ही लगाया जाएगा।
3) महाराष्ट्र सरकार, विक्रयकर और बिजली के बिल न भरने पर लगाये जाने वाले व्याज और हर्जाने की रकम को माफ कर देती और मिल्स को बिजली देने में प्राथमिकता देगी।
4) बी एम सी उसके बकाया पानी के बिल्स और प्रापर्टी टेक्स भरने की मियाद बढ़ा देगी और 1991 से 96 के बीच का ब्याज माफ कर देगी।
5) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी को इनकम टेक्स के कुछ प्रावधानों से मुक्त कर देने और कम्पनी की केपीटल गेन देक्स माफी की प्रार्थना को स्वीकृति दे दी।

जब एक बार स्कीम स्वीक्रत हो गई तो मिल्स के कई विभाग बंद हो गये - जी के एस एस ने आरोपित किया कि कोई आधुनिकी करण नही किया गया। सालों साल श्रमिकों को बिना काम के बैठाला गया और हानि बढ़ती चली गई। आश्चर्य तो यह था कि जब मिल की स्कीम को हरा सिग्नल दिया गया था कि तब उसके पास कोई अतिरिक्त 1.2 लाख स्क्वेयर फीट जमीन नही थी। यही कहानी अन्य मिलों में भी दोहराई गई थी। प्रमोटर्स (मिल मालिकों) ने आय डी बी आई की ऑपरेटींग एजेन्सी से मिलकर अनुमति प्राप्त करली, तदनुसार कई विभाग बंद कर दिये।

इस अवधि में, प्रोसेसिंग विभाग का एक अंश गिरा दिया गया जिससे कि अतिरिक्त भूमि बनाई जा सके। वहां के श्रमिकों को अन्य विभाग में बदल दिया गया, जहँ उन्हे बेकार बैठाल कर रखा गया। फरवरी 1992 में बुनाई विभाग के कुछ भाग बंद कर दिये गये और उसके अगले साल में स्पिनिंग विभाग का भी वही हाल हुआ। 1993-94 में लगभग 2000 श्रमिकों पर दबाव डाला गया कि वे अपने त्यागपत्र दे दें। जबकि यह स्कीम के मूल सिद्धांत के विरुद्ध था। इस डर से कि उन्हे जो कुछ कानूनन दिया जाता है उसे कही खो न बैठे, एक साथ, एक ही दिन में 2,200 श्रमिकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। स्वीक्रत की गई स्कीम के किसी भी प्रावधान पर अमल नहीं किया गया था पर प्रमोटर्स के विरुध्द कोई कार्यवाही नही की गई। 1996 में सारे के सारे श्रमिक बल ने जो अब तक घटकर 1400 रह गये थे, एक साथ त्यागपत्र देकर वी आर एस को स्वीकार कर लिया था। टेक्सटाइल उद्योग के इतिहास में इस घटना का अन्य कोई द्रष्टांत नही था। परपंरागत बकाया वेतन के अलावा, बकाया बोनस, ग्रेच्युटी और अन्य कानूनन दैनदारी सब मिलकर उन्हे प्रत्येक को 1.7 लाख रुपये त्यागपत्र की तारीख के एक साल बाद भुगतान किये जाने थे। तो भी आर एम एम एस ने इसका विरोध इस बिना पर किया कि इस सौदे ने 'अपीलेट अथार्टी फॉर इंडस्ट्रियल एण्ड फायनांशियल रिकन्सट्रक्शन (ए ए आय एफ आर)' की पुनर्वसन पेकेज प्रणाली को तोड़ा है। मिल मालिकों में से एक विकास कासलीवाल ने यह पूर्व हवाला दिया कि उन्होंने तो सिर्फ 300 श्रमिकों को ही वी आर एस देने का प्रस्ताव किया था लेकिन शेष सभी ने इसके लिये दबाव डाला था।[47]

प्रोसेसिंग विभाग को गिराने के बाद व्यवस्थापकों ने पहली बार 5900 स्क्वेयर फीट अतिरिक्त जमीन बनाली। इसे उन्होंने एफ एस आई तरह बेंच दिया और वह भी किसी विक्रय या संपत्ति समिती के गठन के बिना, जिसका कि नियमानुसार होना जरुरी था। एक बाद यह भूमिका अदा कर ली गई तो प्रमोटर्स ने फिर से एक दूसरा प्रस्ताव बी आय एफ आर के सामने रखा पर वह अस्वीक्रत हो गया। तब फिर वे 'ए ए आइ एफ आर' के गये जिन्होंने एक नई पुनर्वास योजना अक्टोबर 1994 में स्वीक्रत कर दी। इसके अनुसार आर्थिक संस्थाओं की बकाया रकम का भुगतान एक ही बार में कर दिया जावे, अतिरिक्त कर्मचारियों को वी आर एस दे कर ही निकाला जावे, अतिरिक्त भूमि का विक्रय किया जाय।

इस बार वीविंग विभाग पूरी तरह से बन्द कर दिया गया और स्पिन्डल्स 1, 22, 576 से घटाकर 40000 कर दिये गये। जो 80, 000 मीटर कपड़ा प्रतिदिन प्रोसेस होता था वह घट कर 50, 000 मीटर तक आ गया जिसमें 19000 मीटर का वह ग्रे कपड़ा शामिल था जो बाहर से खरीदा। जी के एस एस के अनुसार आधुनिकीकरण की लागत बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखलाई गई थी। उदाहरण के लिये पहली स्कीम में यह लागत 3.67 करोड़ रुपये तक आती थी जब कि सभी विभागों का आधुनिकीकरण अंशत: होना था। दूसरी स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत खर्च 4.56 करोड़ दिखलाया गया था जब कि मिल की स्पिनिंग क्षमता घटकर पहले से एक तिहाई रह गई थी।

श्रमिकों की सुनवाई नहीं की गई जब कि उनके हितों को बुरी तरह से नुकसान पहुंच रहा था। उन्हे नई स्कीम के बारे में केवल तब पता चला जब मिल के विभिन्न विभागों में नोटिस लगा कर उनके बंद होने की सूचना दी गई। उसके बाद बुनाई विभाग के श्रमिकों को जिनकी संस्था 400 थी, वेतन देना अकस्मात बंद कर दिया गया। जिसके लिये श्रमिकों को लेबर कोर्ट में दावे दायर करना पड़े जो अभी तक चल रहे है। उपरोक्त स्वीक्रत स्कीम के विरुद्ध भी एक मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया गया, जिसमें स्कीम के चालू करने पर स्टे ऑर्डर आ गया था और मामले को कार्यवाही के लिये स्वीकार कर लिया गया। तब इस पर कम्पनी ने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कम्पनी को स्कीम तो चालू करने की स्वीकृति दे दी पर जमीन के विक्रय पर स्टे लगा दिया और हाई कोर्ट को दोनों पक्षों की सुनवाई के निर्देश हुए और मामला फिर हाई कोर्ट में आ गया।

कम्पनी को जब यह महसूस हो गया कि भूमि के विक्रय या हस्तांतरण या एफ एस आइ का मामला खुल कर सामने आ जायेगा तो उसने तो उसने श्रीराम कामगार संघटना ली मिल समिति के साथ समझौता करने की कोशिश की । समिति के अध्यक्ष ने, जो एक शिवसेना कार्यकर्ता था, एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। यह समझौता अध्यक्ष ने जी के एस एस को बतलाये ..... लिया था जबकि पहले से जी के एस एस ने हाइकोर्ट में केस दायर किया हुआ था। कंपनी के समिति के साथ हुए इस समझौते के अनुसार समिति ने हाइ कोर्ट से मुकदमा उठा लेने की सहमति दे दी और प्रतिश्रमिक अतिरिक्त 1 लाख रुपये 'बी आर एस' का भुगतान स्वीकार कर लिया। जी के एस एस ने मुकदमा हाई कोर्ट से हटाने से तब तक के लिए इनकार कर दिया, जब तक कि जनरल बॉडी माटिंग में इसकी सहमति नही हो जाती। अंतत: जनरल बॉडी मिंटिंग बुलाई गई, जिसमें जी के एस एस के श्रमिकों ने सभी श्रमिकों से आग्रह किया कि वे बी आर एस स्वीकार न करें। फिर भी श्रमिकों ने बहुमत से बी आर एस स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की। इस पर जी के एस एस ने कहा कि श्रमिकों के ऐसे फैसले में वे उनका कोई सहयोग नहीं सकते अत: हाई कोर्ट से मामले को हटा लेंगे।

जब श्रमिकों से यह बातचीत चल रही थी, मिल व्यवस्थापकों ने एक अन्य सुधारित स्कीम अक्टोबर 1996 में इस दावे के साथ प्रस्तुत की, कि मिल की वर्तमान स्कीम

को एक बड़ी हद तक क्रियान्वित करने के बावजूद, मिल को लगातार हानी हो रही है। नई स्कीम में श्रमिक-बल को और अधिक कम करने का प्रावधान था। आधुनिकी करण और नवीनीकरण पर और अधिक पूंजीगत खर्चा किया जाना था और 301392 स्क्वेअर फीट अतिरिक्त जमीन के बेंचे जाते का प्रावधान था। इसके बदले कम्पनी ने स्वीकार किया कि वह 7.7 करोड़ रुपये प्रमोटर्स की ओर से आर्थिक संस्थाओं और बैक्स का बकाया चुकाने में खर्च करेगें। ए ए आइ एफ आर ने इसे एक ऐसा योगदान बतलाया जो उनके बलिदानों की अंशत: क्षतिपूर्ति करेगा। बेंचने आइ डी बी आई, को निर्देश दिये कि वह कम्पनी के प्रस्तावों पर आधारित एक सुधारित स्कीम तैयार करे।

कम्पनी ने प्रस्तावित किया था कि उसके पूंजीगत खर्चे को 4.5 करोड़ से बढ़ा कर 50 करोड़ रुपये कर दिया जावे। जबकि श्रमिकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की एकत्र रु.20 करोड़ से बढ़ा कर 65 करोड़ रु. कर दी जावे। पहले आयोजित 41 करोड़ रु. के एक विशेष प्लाट के विक्रय के अलावा अतिरिक्त भूमि या एफ एस आय के विक्रय को रु 21 करोड़ से बढ़ाकर रु. 107.6 करोड़ कर दिया जावे और मशीनरी विक्री की रकम रु. 1.65 करोड़ से बढ़ाकर रु. 3 करोड़ किया जावे। मिल 40,000 स्पिंडल्स के स्थान पर 25,000 स्पिंडल्स से ही काम चलायेगी और 50000 मीटर कपड़ा प्रतिदिन प्रोसेस करेगी 1 रु 5 करोड़ के पूंजीवात खर्चे से एक स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपेमेन्ट की स्थापना, कान्फेस, कम्यूनिकेशन्स, कंपूटराइजेशन आदि के लिये ऑफिस / कमर्शियल प्रिमाइसेस का निर्माण जो बिजनेस सेन्टर की तरह उपयोग में आएगा करेगी मार्च 1996 में कम्पनी ने अवध स्टेट सर्विसेज को 8000 स्क्वेअर फीट बिजनेस सेन्टर रु. जून अंत तक रु. 19 लाख की आय हुई। ए ए आइ एफ आर के मुताबिक कम्पनी इस गतिविधी को बड़े पैमाने पर चला सकती है, और 20000 फीट बिल्टअप एरिया विभिन्न पार्टीज को देगी जब कि लीज की दरें बढ़कर रु. 100 प्रति स्क्वेयर फुट प्रतिमाह हो जाएगी जिससे की रु. 2.4 करोड़ वार्षिक आय होने की आशा है।

लगातार हो रही श्रमिकों की कठिनाईयों के कारण कम्पनी ने एक मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेंडिंग के तहत शेष बचे 1200 श्रमिकों एक समझौता किया। श्रमिको को वी आर एस का आधार था हर साल के सेवा के लिये 35 दिन का वेतन, ग्रेच्युटी और अर्नड् लीव के अलावा, साथ ही रु. 1.7 लाख प्रति श्रमिक अतिरिक्त रकम देय थी। लगभग पूरे के पूरे श्रमिकों ने इसे स्वीकार कर लिया। कंपनी का अन्दाज था कि इस पर रुं 45 करोड़ का खर्च होगा। पिछली बार 2200 श्रमिकों की छटनी के लिये वी आर एस पर हुए खर्च रु. 20 करोड़ को हिसाब मे जोड़ने पर कुल वी आर एस का भुगतान रु. 65 करोड़ हुआ।

इस पुनर्वास पेकेट के एक भाग के रुप में आर्थिक संस्थाओ को अतिरिक्त रु. करोड़ और बैन्क्स को रु. 5.7 करोड़ कम्पनी द्वारा दिये जाने थे। फिर भी यदि उन्हे लगता कि यह रकम कम है तो वे इसे कोर्ट में चुनौति देने के लिए मुक्त थे। महाराष्ट्र सरकार ने श्रीराम मिल्स को डी. सी. रुल्स के अंतर्गत अतिरिक्त 30,000 स्क्वेयर फीट जमीन रिडेलवप करने या बेचने की अनुमति दे दी। कम्पनी द्वारा रु. 11 करोड़ लाभ कमाने की आशा थी। ऐसा संभव हो सकने के लिये जरुरी था कि 60% यॉर्न मिल के बाहर से जॉब वर्क के रुप में बुनवाया जाएगा। और 55 लाख मीटर अतिरिक्त ग्रे कपड़ा खरीदेगा। संपूर्ण ग्रे कपड़े का जो, 110 लाख मीटर्स होगा. प्रोसेसिंग वर्क बाहर से जॉब वर्क के रुप में करना होगा, कंपनी 83 लाख मीटर्स प्रोसेस्ड कपड़ा खरीदेगी। कमी थी तो बस यही कि अब केवल 85 स्थायी श्रमिक और कोई 104 श्रमिक अनुबंध पर होंगे।

इस लम्बी खिंची पीड़ादायक प्रक्रिया का, जिसके अंतर्गत मिल के पुनर्वसन हेतु तीन भिन्न स्कीम्स की घोषणाएं की गई; बिल्कुल स्पष्ट एक ही उद्देश था कि शीघ्र अति

शीघ्र मिल की संपत्तियां ठिकाने लगायी जावें और श्रमिकों से पीछा छुड़ा लिया जावे बी आय एफ आर को संभवत: यह जान लेना चाहिये था कि मिल के पुनर्वसन के नाम पर आखिर हो क्या रहा है। ऐसा न होना किसी भी अर्थ में एक रहस्य है। एक यह तथ्य कि जब प्रारंभिक प्रस्ताव रखा गया था तो मिलके पास कोई 1, 20,000 स्क्वेयर फीट अतिरिक्त जमीन नही थी, अपनी कहानी आप कहता है। हर अगले कदम पर रिवाइवल स्कीम की लागत बढ़ती गई और हरेक विभाग का काम तेजी से ठप्प पड़ता गया। एक मिल जिसमें कभी 3500 श्रमिक काम करने थे उसे अब केवल 200 लोग चलाएगें यह अपने आप में एक मजाक ही था।

श्रीराम मिल्स : 3 पुनर्वास स्कीम्स

स्त्रोत: गायत्री सिंह, गिरणी कामगार संघर्ष समिति

स्कीम	**1991**	**1994**	**1996**
श्रमिक संख्या	4000	1400	2000
स्पिंडल्स-संख्या	1,22,576	40,000	25000
प्रोसेस्ड कपड़ा (मीटर्स)★	50,000	50,000	50,000
व्रिक्रय होनेवाला क्षेत्र (स्क्वेयर फीट)	1,20,000	1,20,000	3,01,000

★ कपड़े का कुछ अनुपात मिल के बाहर प्रोसेस हुआ

बी आर एफ आर के द्वारा स्कीम क्रियान्वयन का निरिक्षण करने की कोई कोशिश नही की गई और नही किसी भी स्थिति में अपील करने के लिये कोई अधिकारी था। आर्थिक संस्थाएं और बैन्क्स भी सिर्फ अपनी बकाया रकम की यथा संभव वसूली के प्रति चिन्तित थे आई डी बी आई जो इस सम्बंध में प्रमुख मार्गदर्शक एजेन्सी थी उसकी भूमिका विशेषरुप से संदेहपूर्ण थी। इसलिये ए ए आइ एफ आर द्वारा जब यह उत्तरदायत्व दिया गया कि वह प्रमोटर्स द्वारा अतिरिक्त दो करोड़ रुपये के भुगतान सम्बंधी अंडरटेकिंग और ग्यारंटी का स्वरुप और शर्ते सुनिश्चित करे, तो कहँ तक उचित था? किस प्रकार सारी स्कीम मिल के पुनर्वसन में सहायक हो रही थी, जबकि उसे बड़े तरीके से उसके एसिट्स और श्रमिक बल से वंचित किया जा रहा था। स्पिंडल्स की संस्था घटकर 1/5 रह गई थी और संपूर्ण कपड़े का उत्पादन बाहर से बुनवाया जा रहा था। इस सारी कसरत का केवल एक ही उद्देश था और जिसे प्रमोटर्स ने स्वंय स्वीकार किया था कि उसे बिजनेस सेन्टर के रुप में, एक बड़े स्थान के रुप में परिवर्तित करना।

बड़े विलम्ब से, अगस्त 1997 में मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने स्वीकार किया कि श्रीराम मिल्स ने अपनी इमारत एक अन्य पार्टी (रिलायंस इंडस्ट्रीज) को बिना अनुमति लिये लीज पर दे डाली है। राज्य सरकार ने ए ए आइ एफ आर को सूचना दी कि श्रीराम मिल्स के मामले में 'उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है तथा जल्द बाजी में किया कोई भी निर्णय अन्य मिलों की इसी तरह की स्कीम्स पर असर डाल सकता है। शासन ने मामले में इनक्वायरी के आदेश दिये, जिसके अंतर्गत मिल्स द्वारा डी सी कंट्रोल रुल्स के जो उल्लंघन और अनियमतिताएं हुई है उनकी जांच की जावे। फरवरी 1996 में राज्य सरकार ने मिल परिसर के अदंर लेंड डेव्हलपमेंट पर रोक लगा दी साथ ही जांच के लिये कोरिया समिति की नियुक्ति के साथ एक सामान्य ब्रेन आदेश जारी कर दिया गया।'

1998 में महाराष्ट्र सरकार ने श्रीराम मिल्स को उस बॅन से जो मिलभूमि डेव्हलपमेंट पर लगा था, मुक्त कर दिया और बावजूद नगर विकास तथा टेक्सटाइल मंत्रालयों की आपत्तियों के लगभग 5490 स्क्वे. मी. भूमि पर फ्लेट्स की निर्मिती को नियमित (रेग्यूलराइज्ड) कर दिया। इस पर राज्य के एडवोकेट जनरल की राय मांगी गई, जिसने बतलाया कि व्यापारिक और आवासीय उपयोग के लिये फ्लेट बनाने की जो अनुमति, बी एम सी ने डी सी रुल्स के अंतर्गत दी है वह व्यर्थ है। टेक्सटाइल मिनिस्टर ने तो

साफ तौर पर यह बतलाया कि मूलत: मिल की जमीन को डेव्हलप या रिडेव्हलप करने कि अनुमति केवल इस शर्त पर दि गई थी कि मिल्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा। दोनों ही मंत्रियो ने इस बात पर भी आपत्ति प्रकट की कि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग के भाग को मिल्स व्यवस्थापकों ने एक निजी कम्पनी को लीज पर बिना लायसेन्स लिये दे दिया। जी के एस एस ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह इस मामले में श्रमिकों की कीमत पर मिल मालिकों के प्रति पक्षपात कर रही है।

जनता दल के एक कार्यकर्ता संजीव चिम्बुलकर ने 1999 में एक रिट पिटिशन दायर किया। उसका कहना था कि शहर की वास्तव में सभी निजी मिल्स ने अरबन लेन्ड सीलिंग एक्ट के प्रावधानो का उलंघन किया था। उसने आरोप लगाया कि उसे मालुम पड़ा है कि गोविन्दराव आदिक जो राज्यसभा का एम. पी. भी है वे श्रीराम मिल्स से पुरान लुम्स प्राप्त किये है और उन्हे कोपरगांव जहां का वह निकसी है, ले जाकर लगा दिया है। श्रीराम मिल्स के परिसर में मिलक्षेत्र की प्रथम आर्ट गेलरी 'साक्षी' का उदघाटन हुआ। इसे उस पुराने छोड़े गये शेड में स्थापित किया गया है जिसे मिल के ओद्योगिक स्वरुप की यादगार बनाए रखने के लिए ज्यों का त्यों रखा गया था।

न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पिनिंग एंड वीवींग

तथ्यों और संख्याओं की ऐसी ही चालबाजी अन्य मिल्स में भी की गई थी। 'न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पिनिंग एंड वीवींग' के मामले में जिसके पास 2.31 हेक्टर भूमि थी (मालिकों, कनोरियाज् का भूमिका में इंटरव्यू लिया गया था) वहां दो पुर्नवास स्कीम्स थीं। प्रथम जो जुलाई 1993 में स्वीक्रत हुई थी, उसके अनुसार 29700 स्पिंडल्स पर काम किया जा रहा था जबकि वास्तविकता यह थी कि उस समय केवल 10,000 स्पिंडल्स पर ही काम चल रहा था, जी के एस एस के अनुसार इसी प्रकार से मिल ने अपनी वीविंग केपेसिटी 304 लूम्स ही उपलब्ध थे। कम्पनी ने हाजरी रजिस्टर पर 1200 श्रमिकों होने का उल्लेख किया था जबकि वास्ताविक संख्या तो केवल 200 ही थी। इसने बतलाया था कि 1,20,000 स्क्वेयर की एफ एस आई बहुत ही कम भाव से, 1200 रुपये प्रति स्क्वेयर फुट के हिसाब से बेंची गई जो स्पष्टत: अंडर वेल्युएशन था। आई डी बी आई, जो इस स्कीम की 'ऑपरेटींग एजेन्सी' थी ने फिर यहां अपना उत्तरदायत्व नही निभाया। कायदे से उसे यह जांच करता ही चाहिये थी कि स्कीम में जितनी जमीन की स्वीक्रति दी जा रही थी, वास्तव में उतनी जमीन खाली थी भी या नहीं।

इस स्कीम को स्वीक्रति दे देने के बावजूद भी कम्पनी मिल को फिर से खोलने में असफल रही थी। इस मुद्दे को लेकर जब 'जी के एस एस' हाईकोर्ट में गई तो हाईकोर्ट ने मिल को खोलने के आदेश जारी कर दिये। दो साल से बन्द पड़ी मिल जब खोली गई तो केवल 250 श्रमिको को ही काम पर वापिस लिया गया और मिल को अंशत: ही शुरु किया गया और कई विभाग तो बन्द ही रहे। कम्पनी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि श्रमिक बहुत कम संख्या में उपलब्ध थे इसलिये काम चालू नही हो सका। 1995 में मिल मे ं आग लगी, एक जाना-समझा हादसा, कोलाबा के मुकेश मिल्स में 1982 में टेक्सटाइल स्ट्राइक के दौरान आग लगी थी (जिसमें चालू काम वाले विभाग जल कर भस्म हो गये थे) - इस आग नें स्पिंनिंग विभाग के कुछ भाग पूरी तरह नष्ट हो गये। राज्य के श्रम उद्योग मंत्रियों के साथ बहुत सी बैठकें हुई लेकिन आदेश का पालन न करने पर कोई कार्यवाही नही की गई। इसके विपरीत महाराष्ट्र सरकार के सेक्रटरी ने 'ए ए आइ एफ आर' को जनवरी 1996 में एक पत्र लिखकर बतलाया कि स्कीम ठीक से क्रियान्वित हो रही है। जनवरी 1996 में राज्य सरकार के डिपुटी सेक्रेटरी ने 'ए ए आइ एफ आर' ने वही बात दोहराते हुए कहा कि, सरकार ने एमएमसी से आग्रह किया है कि अतिरिक्त एफ एस आई को डेव्हलप करने की अनुमति देने की शीघ्र कार्यवाही की जावे। इस आधार पर और

तथ्य पर कि कोई आपत्तिया नही थी, एक सुधारित पुनर्वसन स्कीम उस साल मार्च में स्वीक्रत हो गई थी। बैठक में राज्य सरकार ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि पिछली स्कीम कार्य की बात तो दूर शब्दों में कहने के लिये भी क्रियान्वित नही हुई।

श्रमिकों ने इस स्कीम को चुनौति दि, उन्होंने बतलाया कि स्कीम मे जो क्षेत्र खाली दिखलाया गया है वह तब खाली नही था जब पहली स्कीम स्वीकार की गई थी। यह तभी खाली हुआ था जब अनेक विभागों को प्रोसेस हाउस सहित बन्द कर दिया गया था। उन्होंने यह भी आरोपित किया कि मिल में आग जानबूझ कर, जमीन खाली करने के लिये लगवाई गई थी, उसी जमीन को बाद में बेंचा गया। सरकार ने आग लगने के कारणों की कोई जांच नही की थी। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे केवल 250 श्रमिक ही काम वापस लिये गये और कैसे अन्यों को बकाया वेतन नही चुकाया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोई आपत्ति क्यों नही उठाई जिससे कि दूसरी स्कीम की स्वीक्रति पर रोक लग जाती, जिससे कि स्पिन्डल्स और लुमस की संख्या और अधिक कम हो जायेगी। प्रोसेसिंग हाउस, एडीशनल स्पिनिंग और आटो विभाग के बन्द हो जाने पर जो क्षेत्र बेंचा जाने वाला वह 1,20,000 स्क्वे. की बचा, जिसमे यह साफ जाहिर होता था कि उसका पूर्व दावा सही नही था। इससे अधिक डी सी रुल्स का पालन भी नही हुआ क्यों कि नियमानुसार एम एम जी और एम एच डी ए (म्हाडा) के लिये क्षेत्र कर दो तिहाई भाग आरक्षित करना चाहिये था वह नही किया गया था। आर्थिक संस्थाओं और राज्य सरकार ने स्कीम को मॉनीटर नही किया। न तो कोई तकनीकी संभावना रिपोर्ट बनाई गई और न ही विक्रय समिति गठित की गई थी।

माडर्न मिल्स

माडर्न मिल्स, भायखला मे 5.65 हेक्टर के विस्तार में स्थित थी और 8 वर्षो से बन्द पड़ी हुई थीं। अपने मूल प्रस्ताव के दो वर्ष बाद 1995 में कम्पनी ने एक नई पुनर्वास योजना बी आई एफ आर को प्रस्तुत की थी। महाराष्ट्र सरकार ने भूमि के विक्रय के लिये अपनी स्वीक्रति इस शर्त पर दी थी कि प्रमोटर्स बिल्ड अप एरिया का 10% श्रमिको की हाउसिंग सोसायटी के लिये आरक्षित रखेंगे, याद श्रमिक यूनियन ने ऐसी मांग की तो। लेकिन इस प्रस्ताव का कुछ भी नहीं हुआ। बी आई एफ आर ने विवरण दिया था कि स्वीक्रत स्कीम द्वारा रु. 28 करोड़ की आय अतिरिक्त एफ एस आई और टी डी आर से होना था। इसके आधार पर कम्पनी को रु 20 करोड़ व्याजमुक्त डिपाजिट ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग से रियल स्टेट के व्यापार के लिये मिला था और जिसके बारे में ..... ने स्पष्ट कर दिया था कि इस राशि द्वारा मिल की एकत्रित हो गई हानि की पूर्ति नहीं दिखलाई जा सकती । इसलिये यह सलाह दी गई कि एक प्रबल रुप से असरदार सुधारित स्कीम भेजी जावे। इस फैसले के विरुध्द की गई अपील रद्द कर दी गई और मिल्स ने एक सुधारित स्कीम 1996 में पेश की, जिसमें यह अनुमानित किया गया कि रु. 86 करोड़ के रियल इस्टेट टर्न ओवर पर वह 26 करोड़ का लाभ कमाएगी। यह लाभ पहले के रु. 28 करोड़ के अतिरिक्त होगा। व्यंगपूर्ण यह था कि तीसरी पुनर्वास स्कीम पर पहली की अपेक्षा बहुत अधिक खर्चा किया जाना था।

'ए ए आइ एफ आर' ने 1996 में मिल्स को इजाजत दे दि कि वह रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट काम भी कर सकती है। व्यंग यह था कि शेष बचे 300 श्रमिक और स्टाफ के कर्मचारियों के अतिरिक्त 100 विशेषज्ञ श्रमिक और भरती किये जाने वाले थे। कम्पनी को 1997 -98 में रियल इस्टेट और टेक्सटाइल दोनों पर रु. 69 लाख का शुद्ध लाभ कमाने की आशा थी। यह तीसरा प्रस्ताव इसीलिये मंजूर हुआ था क्यों कि ऐसी आशा थी कि वर्तमान 7616 स्पिन्ड्लस और 864 नये खुले सिरे वाले स्पिनिंग हो सकेगी। इकठ्ठे हो गये नुकसान के समाप्त होने के बारे में जैसी कि पहली स्कीम में उम्मीद की गई थी, अब इस स्कीम में प्रापट्री डेव्हलपमेन्ट के द्वारा, उससे भी शीघ्र वह समाप्त हो जाएगा।

यह स्पष्ट है कि कम्पनी उस क्षेत्र में अधिक सक्रीय हो गई है, जिसका कि 'टेक्सटाइल' से कोई सम्बंध नही है। सारांश में वह केवल स्पिनिग मे लगा रही और बुनना बिल्कुल बंद कर दिया। धागे के विक्रय से होनेवाला कुल लाभ रु. 2.9 करोड़ था जबकि रियल इस्टेट से 26 करोड़ रुपये का था यानि नौ गुना अधिक। केवल यही एक सच कि मात्र 300 श्रमिक ही काम पर रह गये थे, अपनी कहानी आप कह देता है । स्पिनिंग का काम तो बस एक पर्दा था जो पूरी तौर से चल रहे रियल इस्टेट के काम पर पड़ा था। ओद्योगिक क्षेत्र के हद्य मुंबई में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा था पर इस बारे में कोई भी सम्बंधित संस्थाए, केंद्रिय सरकार से लेकर राज्य सरकार तक और नगरपालिका तक चिन्तित नहीं थी मिल के स्थान पर अब चालीस मंजिली 'बेलवेडर कोर्ट' इमारत है जिसे दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत माना जाता है।- जैसा कि अगले अध्याय में देखेंगे।

ये सभी उदाहरण केवल यही समझने के लिये काफी नही है कि यह मान करके कि मिल को एक सम्पूर्ण इकाई की तरह चलाना संभव नही है हमने किस प्रकार पुनर्वसन के सही विवेक को ही दबा दिया बल्कि इसके लिये भी कि शहर ने अपने केन्द्रिय श्रमिक वर्ग के विनष्ट होते हुए भाग्य को पुनर्जीवित करने का एक अवसर खो दिया। राज्य ने जो एक तिहाई फार्मूला बनाया था उसके द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा प्राप्त हो जाता क्यों कि उसके द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा का एक न्यूनतम आधार प्राप्त हो जाता क्यों कि उसके द्वारा क्यों कि उसके द्वारा होने वाले लाभ का कम से कम एक अंश तो प्लांट और मशीनरी में नये विनियोग के रुप में किया जाना था। इस नीति का सम्मान इसे तोड़ने में ही अधिक किया गया बजाय इसके पालन के, नियमों के प्रतिबद्धता केवल होंठ हिलाने तक ही सीमित रही और प्रमोटर्स ने हर मामले में इस बहाने के पीछे जबकि उनकी हर गति विधी मुनाफा कमाने के लिये चलती रही। खटाऊ मिल्स का मामला तो और अधिक खुली चालाकी का उदाहरण है।

एक अन्य विचार जो यहां बहुत संगत है कि मिल मालिकों ने करोड़ो रुपये बैंको और आर्थिक संस्थाओं से उधार लिये जो कि सार्वजनिक पैसा है। फिर कैसे आर्थिक संस्थाओं से अपने पैसे की, इन कंपनियों द्वारा की जा रही दुर्व्यवस्था से सुरक्षा नही की और न ही पैसे की वसूली के लिये कोई उपयुक्त कदम उठाये? ओमकार गोस्वामी और अन्य दो व्यक्तियों द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार 1981 और 1987 के बीच जो बैंक क्रेडिट की राशि बीमार मिल्स में लाक अप हो गई थी, वह संपूर्ण उद्योगों को दिये गये एंडवासेज की नौ प्रतिशत थी। घिरी हुई खटाउ मिल के मामले में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कर्जे की राशि मिल पर बकाया थी और जिसके कारण मिल के बोर्ड पर बैंक ने अपना डायरेक्टर नियुक्त कर दिया था, वह राशि मिल की बोरीवली स्थित भूमि के संभावित विक्रय से आने वाली राशि से बहुत अधिक थी। जबकि बहुत से लोगों का यह विश्वास था कि मिल मालिकों की भूमि उनकी अपनी निजी सम्पत्ति थी और उसके बारे में क्या करना है इसका निर्णय लेने के लिये वे स्वतंत्र होना चाहिये। तब हालत बहुत खतरनाक रुप से बदल जाती है जब यह महसूस होता है कि करोड़ों रुपयों का सार्वजनिक पैसा इस जोखिम पूर्ण व्यवसाय को चलाने में डूब गया - अनेक उदाहरणों में तो यह पैसा अभी हाल के वर्षो मे उन व्यापारियों द्वारा लिया गया था जिनकी निगाहें सिर्फ 'रियल इस्टेट' पर थी।

मुकेश मिल्स

आखरी मामला है मुकेश मिल्स का संभवत: इतनी सुहावनी और कीमती भुमि पर स्थित एक टेक्सटाइल मिल सारी दुनिया में शायद ही अन्य कही हो। मुंबई कि शेष अन्य मिलों से भिन्न यह मिल द्विप के एक कोने पर स्थित, भीड़ भाड़ भरे कोलाबा अप मार्केट के रिहायशि क्षेत्र से लगा हुआ है। पूर्व की ओर समुद्रि पानी से घिरा यह स्थान पानी के एक चेनल से, जो मच्छीमार नाके के जाने के लिये है, ससुन डाक से अलग हुआ है। मेन लैंड की ओर

देखते हुए इस स्थान से समुद्र का शानदार नजारा भी दिख लाई देता है। मिल का बहुत सा भाग जो 5 हेक्टर (12 एकड़) में फैला हुआ है, 1982 की हड़ताल के दौरान आग लगने से जल गया था। एक दुर्घटना, जिसके बारे में श्रमिकों का आरोप था कि यह आग ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (टी सी आय), जो मालिक ने इसलिये लगवाई थी कि इस इकाई को बंद करके जमीन डेव्हलप की जा सके। निर्माण सुविधाएं 2 हेक्टर (पांच एकड़) भूमि में स्थित थी। अग्रवाल जो टी सी आई के मालिक थे, उनका दावा था कि वे 1975 से जबसे उन्होंने यह मिल ली है, प्रतिमाह 5 से 8 लाख का नुकसान उठा रहे है। उन्होंने जब 1983 में हड़ताल समाप्त हो गई तो यह निर्णय लिया कि मिल को फिर से शुरु करना योग्य नही है। एक दशक बाद इसकी एकत्रित हो गई हानि लगभग रु. 9.5 करोड़ थी।

1983 में 10,000 श्रमिकों के साथ दत्ता सामंत ने मुकेश मिल्स के बंद होने के विरोध में आन्दोलन शुरु किया (साथ ही मफतलाल की एक इकाइ और कुछ सिल्क और वूलन मिल्स के विरुध्द भी) सामंत का आरोप था कि मालिक लोग चार हेक्टर जमीन में एक पांच सितारा होटल बनाने जा रहे है जो सुप्रसिद्ध ताजमहल होटल के बिल्कुल पास होगी (पांच सितारा होटल और हॉस्पिटल्स के लिये 2.5 एफ एस आई अधिक्रत है जबकि सामान्य के लिये केवल 1.33 ही है) राज्य सरकार ने मिल बंद किये जाने के मामले की सी आई डी जांच कराने का वायदा किया था पर उसका कुछ हुआ नही। [50]

अग्रवाल लोगों के बारे में सूचना थी कि उन्होंने मिल का आधुनिकी-करण करने के बहाने से आ डी बी आय, आय सी आई सी आय, और इंडस्ट्रीयल फायनांस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से रु- 1.8 करोड़ का ऋण ले रखा था और उसी दौरान उन्होंने अरबन सीलिंग अथारिटी को मिल और श्रमिकों के क्वार्टर्स गिराने और उनकी जगह होटल और फ्लेट्स बनाने के लिये आवेदन किया था। महाराष्ट्र सरकार ने 'टी सी आई' द्वारा दिये गये मिल बंद करने के तीन आवेदन पत्र इंडस्ट्रियल डिस्पूट एक्ट के अंतर्गत रद्द कर दिये थे। बारह साल की लम्बी मुकदमे बाजी के बाद कम्पनी हाइकोर्ट पर दबाव डाल रही थी कि वह अपनी यह फैसला उलट दे। मुकेश मिल्स मामला इसलिये और अधिक पेंचदार हो गया कि मिल के कुल क्षेत्रफल 40,000 मीटर में से 13,600 स्क्वे. मी. पर 256 श्रमिकों के आवास बने हुये थे। न केवल यह स्थान बहुत अधिक किमती था बल्कि परिवारों को उसी क्षेत्र में काम मिला हुआ था और वे लोग घर छोड़कर जाने के अनिच्छुक थे। टी सी आई ने उनके विरुध्द भी मुकदमें दायर किये। कुछ कुटुम्ब तो वहां पांच पांच पीढीयों से रह रहे थे। मिल मालिकों द्वारा एक पचास फीट ऊँची दीवार उन गरीब निवासियों को अपने कोलाबा के अमीर पड़ोसियों से अलग करने और निगाहों से दूर रखने के लिये बनवाई गई थी। चूं कि 1980 के आरंभ से ही मिल की मशीनें खामोश हो गई थी, मालिकों ने इमारतों को 'मोलीवुड ब्लॉक बस्टर्स' जैसे कि हम और एड फिल्म्स की शूटिंग के लिये भाड़े पर देना शुरु कर दिया था। समुंदर का सुन्दर किनारा और दरख्तों के इर्द गिर्द नाचते हुए सुन्दर माडेल्स, बॅक ग्राउंड में जले हुए मिल के खंडहर, एक अच्छी तसवीर पेश करते है।

1996 में एक प्रयोगात्मक नृत्यनाटिका- 'दी हिडन रिवर' जिसमें क्लासीकल और लोककलाओं का फ्यूजन (मिश्रण) पेश किया जाता था और जिसे दिल्ली के डिझायनर राजीव सेठी द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, का आयोजन मिल परिसर में किया जा रहा था तब वहां नाराज श्रमिकों द्वारा उनका घेराव किया गया। उनका विरोध यह था कि जबसे मिल बंद हो गई है वे बेरोजगार हो गये है ; जब कि मिल मालिक तो इमारतों को लीज पर देकर पैसा कमाये जा रहे है पर उनका जीवन स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। राजीव सेठी ने स्वंय घोषणा की कि वह श्रमिकों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखता है। हम उन लोगों की उपेक्षा नहीं

कर सकते जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था और इस शहर के लिये अपने जीवन की आहूति दी है। प्रदर्शनकारियों ने सही समय पर और सहि उद्देश से, दिखलाई देने वाला प्रदर्शन शहर के उच्चवर्गीय और प्रभावशाली लोगों के सामने किया था - सेठी ने उनकी सराहना की और श्रमिकों को दूसरे दिन के शो में आमंत्रित भी किया। दूसरे दिन बहुत से लोग आये और उन्होंने कार्यक्रम में सहभाग भी किया। एक नाटक - समीक्षक ने इसपर टिप्पणी की थी कि अर्थव्यवस्था भले ही अन्तर्राराष्ट्रीय विनियोगों को आकर्षित करना जारी रखे पर वह दरवाजे के बाहर के श्रमिकों को भुला नहीं सकती। [51]

फरवरी 1998 में 'मुकेश' मे दूसरी बार आग लगी, जिसमें मिल के तीन मंजिल जिनमें स्पिनिंग रुम और ब्लोरुम थे वे पूरी तरह नष्ट हो गये। आग गेस के सिलेंडर फटने से लगी थी जिसके धमाके के कारण सारे कोलाबा में पेनिक हो गया था। लोकहक-संगठना, जिसने 'मर्डर्स ऑफ मिल्स' लिखा है ने आरोपित किया था कि यह अग्निकांड श्रमिकों और उनके परिवारों को बाहर निकालने के लिये करवाया गया था। उसने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था-कि दुर्घटना से एक दिन पहले टी सी आई की भाड़े पर चलने वाली - 'व्हील्स रेंट ए कार' 200 गाड़िया बाहर ले जाई गई थी और घटना की रात को कोई शूटिंग भी बुक नही की गई थी।

अन्ततः 1999 में मुकेश मिल्स पर तब पर्दा गिर गया जब शेष बचे 107 श्रमिकों और व्यवस्थापकों के बीच आउट ऑफ कोर्ट समझौता हो गया जिसके मुताबिक हरेक श्रमिक को 6.5 लाख रुपए मिलेंगे और

बदले में जैसे ही वे सेवा से बाहर होंगे उन्हे अपनी आवासीय चाल खाली करनी होगी। व्यवस्थापन ने पहले रु. 5.5 लाख प्रति व्यक्ति देने का प्रस्ताव रखा था लेकिन चीफ मेट्रोपोलिटयन मजिस्ट्रेट एस. होलाबे पाटील जिसके कोर्ट में यह केस चल रहा था, की मध्यस्थता के कारण बढ़ा कर 6.5 लाख रुपये दिया। यह समझौता महत्वपूर्ण केवल इसलिये नही था कि किसी मिल द्वारा श्रमिकों को दी गयी यह सबसे बड़ी रकम थी, भले ही वह फिर उसके रियल इस्टेट की ऊँची कीमतों के कारण थी, बल्कि इसलिये भी समझौता महत्वपूर्ण था कि वह बतलाता है कि एक अच्छे समझौते के लिये क्या किया जा सकता है। - चूंकि यह अफवाह फैल गई थी कि टी सी आई वहां एक होटल बनाने जा रही है, तो अन्य ऐसे मामलों में भी ऐसा ही समझौता किया जा सकता है। जैसे कि एन टी सी का इंडिया यूनिट नं. 6 जो 'इन्दू डाइ वर्क्स' के नाम से जाना जाता है और जो केडल रोड पर समुद्र किनारे स्थित है वह भी होटल या हॉस्पिटल डेव्हलप करना चाहता था। [52]

एक राजनैतिक कार्यकत्ता संजीव चिम्बुलकर के अनुसार निजी मिलों द्वारा अधिक्रत कुल मिला कर 28 लाख स्क्वे. मीटर क्षेत्र था वह यदि अपार्टमेन्ट्स इमारतोंमें किया जाय तो उससे रु. 14,900 करोड़ की आय हो सकती है। यह हिसाब इस आधार पर लगाया गया था कि वह क्षेत्र जो मिल्स ने यू एल सी एक्ट के अंतर्गत उद्योग के रुप में मुक्त करने के लिये आवेदन दिया था या फिर जिनके डेव्हलप करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी थी। इस आय की तुलना श्रमिकों को चुकाई जाने वाली रकम लगभग रु. 6000 करोड़ से की जाना थी। यह एकत्र इस आधार पर आंकी गई कि कुल 60,000 श्रमिकों को, प्रत्येक को रु. 1 लाख के हिसाब से दिये जावे। उसने निवेदन किया था कि जैसा कि एक्ट में प्रावधान है अतिरिक्त खाली भूमि राज्य सरकार को वापस की जाना थी, जो वापस नहीं की गई। इसलिये अब वह राज्य को हस्तांतरीत की जाना चाहिये, जिससे कि टेक्सटाइल श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके। उसने यह भी आरोपित किया कि आर एम एम एस श्रमिकों को प्राप्त क्षतिपूर्ति का 5% भाग ले लेता है। इस होने वाले लाभ के कारण ही प्रोत्साहित होकर, आर एम एम एस मिल मालिकों द्वारा

प्रस्तावित मिल बंद करने के समझौतों पर आसानी से सहमत हो जाता है। उसका अभिमत तो था कि मिल मालिकों और सरकार के बीच अवश्य ही एक ऊँची किस्म की सांठ गांठ है, जो अतिशयोक्ति लगता है।

'रिपिंग दी फेब्रिक : दी डिक्लाइन ऑफ मुंबई एंड इट्स मिल्स, 2002-2005, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया, न्यू देल्ली, की अनुमति से एडाप्टेड'

1) 'डेडली डील्स,' बिजनेस वर्ल्ड, मे 18, 1994
2) 'ब्लडी रिकोचेट्स'; हरीश नम्बियार,इंडियन एक्सप्रेस, मे 15, 1994
3) आइ बी आइ डी, 'दी ओवर लॉर्ड,' दी वीक, मे 22, 1994
4) दाऊद फर्म बॉट खटाऊ मिललेंड फॉर रुपीज 400 करोड़ सेज दत्ता सामंत', इंडियन एक्सप्रेस, मे 23, 1994
5) 'दी राइन ऑफ दी डॉन्स' हरिश नम्बियार, इंडियन एक्सप्रेस नव. 13, 1994
6) 'अमर, अरुण, इब्राहिम,' अमरजीत सामरा इंटरव्यू हिन्दुस्तान टाइम्स, मे 16, 1994
7) अश्विन नाइक अरेस्टेड व्हाइल क्रासिंग दी इंडो बांगला बोर्डर'- टा.ऑफ इंडिया, अगस्त 6, 1999, 'अश्विन नाइक : दी मेन बिहाइंड मर्डर एंड मेन्ड्रेक्स' बॉम्बे टाइम्स अगस्त 7, 1999
8) व्हाय अश्विन नाइक इज इन मुंबई?', संडे मिड डे अग-22, 1999
9) दी वीक, ओपी. सी आय टी
10) 'दी खटाउ किलिंग' संडे मे 22 1994
11) दी वीक, ओपी. सी आय टी
12) टेक्सटाइल वर्कर्स लेंगुइश,' टी ओ आई, अक्टो 7, 1991
13) 'पार्टीज वू लेबर क्लास,' दी इंडेपेन्डेट, अक्टो 12, 1991
14) 'डिवाइडेड बाइ गन्स एंड मनी,' बी एस, एप्रिल 28, 1994
15) दी वीक, ओपी. सी आय टी
16) 'गिव अस दि मिल,' मिड डे, सप्टें. 14, 1997
17. टी ओ आई, 1994
18) 'सिटी टेक्सटाइल मिल्स फ्लाइट डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल रुल्स,' संजय जोग एफ ई, अगस्त 11, 1997
19) क्लियर खटाऊलेंड ऑर फेस लीगल म्यूजिक : बी आइ एफ आर टू गवर्नमेंट' ई टी. फेब. 15, 1997'
20) 'खटाउ चीफ रिस्टार्टस् लेंड सेल एन एक्सेप्सन' संडे मिड डे, एप्रिल 13, 1997
21) 'खटाउ लेंड सेल गेट्स गवर्नमेन्टस नॉड,' आय ई, मे 17, 1997
22) खटाउ चीफ रिस्टार्टस् लेंड सेल्स टाक्स; अमृता नायर-घासवाला टी ओ आई संप्टे 5, 1997
23) 'गिव अस दि मिल,' ओपी. सी आय टी
24) 6000 खटाउ मिल वर्कर्स टू रिस्टार्ट यूनिट,' ए ए दिस. 27, 1997
25) बी आई एफ आर डायरेक्ट्स खटाउ मेनेजमेन्ट टू सबमिट ए रिवाइवल प्लान,' आय ई, नवम्बर 25, 1997
26) 'आई सी आई सी आइ चॉक्स आउट न्यू रिहेबीलेदेशन प्लान फॉर खटाउ मिल्स 'स्टेट डिसओन्स खटाउ मिल्स' रुपीज 175 करोड़ रिवाइवल प्लान,' संजय जोग एफ ई. जुलाई 30, 1998
27) 'बी आई एफ आर ओपन्स डोर फॉर खटाउ मिल्स,' आय ई, ऑग 13, 1999 'वर्कर्स यूनियन रिजेक्ट्स खटाउ मिल्स' एग्रीमेंट आय ई, ऑग 15, 1999
28) आय ई, जान 17, 1997
29) टी ओ आई जॅन. 18,1997
30) दत्ता सामंत: ए ट्रिब्यूट,' दीपनकर भट्टाचार्य, ईपीड्ब्लू, जॅन. 25, 1997
31) सिंघ, गुरबीर 'हूडन इट?,' ई टी, जॅन 17, 1997

32) '3 कनविक्टेड फॉर सामंत्स् मर्डर' आई ई जुलाई 25, 2000
33) 'मराठी मानुस मेड सेना, बट गॉट किक्ड इन दी स्टमक,' दत्ता सामंत इंटरव्यू, बॉम्बे टाइम्स, जॅन. 17, 1997
34) आई बी आई डी
35) 'ब्ल्यू प्रिन्ट फॉर मुंबई रीजन्स डेव्हलपमेंट कम्स अंडर फायर', टी ओ आई जॅन.(?),1997
36) 'सदा पावलेज् न्यू रिक्रूट्स वेअर ठक्कर किलर्स्' बी. टी. अप्रेल 24, 1997
37) 'ठाकरे ब्लास्ट्स कम्पलेनिंग इंडस्ट्रियलस्ट,' बी. टी. मे (?) 1997
38) 'किलिंग ट्रेड मिल्स,' आउट लुक, अप्रेल 30, 1997
39) 'सोर्ड लेंड डील में बी मोटिव'- ए ए अप्रेल 18, 1997
40) 'बिल्डर शॉट डेड एट वालकेश्वर जंक्शन' आई ई. फेब. 6, 1998
41) 'वर्कर्स टेक ओवर रघुंवशी टेक्सटाइल मिल' इ.टी. सप्टें 17, 1999
42) 'व्हेन दी मिल्स क्लोज डाउन, दी माफिया कम्स दू रिक्रूट' आई ई, नोव्ह 28, 1998
43) 'ट्रेड यूनियन्स लासिंग क्लाउट?' बी आय. नोव्ह. 4-17, 1996
44 ....
45) आई बी आई डी
46) पटेल, सुजाता एंड थोर्नर, एलिस, ईडिस (1995) बॉम्बे मेटाफोर फॉर मॉडर्न इंडिया एंड बाम्बे : मोजाइक ऑफ मॉडर्न कल्चर,ओयूपी, बॉम्बे
47) फेब. 7, 1998
48) 'वी आर एस लेंड एक्सोडस एट श्रीराम मिल्स किक्स अप स्टॉर्म -' गुरबीर सिंघ, ईटी, सप्टे. 2., 1996
49) श्रीराम मिल्स लेंड डेव्हलपमेन्ट क्लियर्ड डेसपाइट डिसेंट', संजय जोग, एफ ई. मार्च 13, 1998'
50) 'स्टंटस एट मुकेश मिल्स गेट लोकल्स इन फाइट सीन्स,' गुरबीर सिंघ, ईटी, अक्टोबर 20, 1995
51) 'दत्ता सामंत स्वीप्स क्रेडिट सोसायटी पोल्स,' एफ पी जे, डिसेम्बर 7, 1983
52) 'डिसप्लेस्ड वर्कर्स ऑफ मुकेश मिल्स अपसेट ओवर शो हेल्ड इन मिल कंपाउंड'टी ओ आई. अप्रेल 1, 1996
53) '107 वर्कर्स ऑफ ए डीफंक्ट मिल एग्री टू वेकेट लेंड,' टी ओ आई अप्रेल 1, 1999

अनुवादक : ज. कु. निर्मल

■ ■ ■ ■ ■

PHOENIX
Pantaloons
McDonald's

इंडिया यूनायटेड मिल नं3
INDIA UNITED MILLS No3